

## राजस्थान सरकार

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संरथान

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017 (राजस्थान)

टेलीफोन : 0141-2706556, 2715222 फैक्स : 0141-2705420

वेबसाइट—[www.hcmripa.rajasthan.gov.in](http://www.hcmripa.rajasthan.gov.in)

ई—मेल [hcmripa@rajasthan.gov.in](mailto:hcmripa@rajasthan.gov.in)



सूचना का  
अधिकार



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सन् 2005 का 22वां अधिनियम)की धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत

**Under Section 4(1)(b) of  
Right to Information Act., 2005 (Act No. 22 of 2005)**

एच.सी.एम. रीपा एवं  
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित  
सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन

**Voluntary Disclosure of Information in respect of the  
HCM RIPA, Jaipur and its Regional Training Centres.**

राजस्थान सरकार

## हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर-302017(राजस्थान)

क्रमांक एफ.2(21)(ए)रीपा / प्लान / 2005-06

जयपुर, दिनांक 29-6-2007

### अधिसूचना(NOTIFICATION)

विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड I संख्या 25, मंगलवार, 21 जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) प्रकाशित किया गया है। अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 15 जून 2005 को अनुमति किया है। हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक राजकीय विभाग है अतः उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 2(h) के तहत यह एक लोक प्राधिकरण (Public Authority) है जिसके नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा स्थित 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। अधिनियम के अध्याय 2 के अनुच्छेद 4(1)(b) में किये गये उपबन्धोंकी अनुपालना में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर व इससे सम्बन्धित अन्य 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित निम्नांकित सूचनाएं जन साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित की जाती है। ये सूचनाएं दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक अद्यतन की गयी हैं।

### प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(B) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण इस धारा में वर्णित 17 बिन्दुओं की सूचना प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर एक लोक प्राधिकरण होने के नाते इस सूचनापुस्तिका के माध्यम से प्रकट किये जाने योग्य अपेक्षित सूचनाओं को प्रकाशित कर रहा है। प्रत्येक बिन्दु की सूचनाएक पृथक अध्याय के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान से सम्बन्धित सूचना की जानकारी सरल रूप से उपलब्ध करवाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

## हस्त—पुस्तिका का उद्देश्य

इस हस्त—पुस्तिका का उद्देश्य संस्थान की गतिविधियों के संदर्भ में आमजन को जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में सूचना के अधिकार की हस्त—पुस्तिका तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य विभागीय गतिविधियों की अधिकाधिक जानकारी, क्रियाविधि, उद्देश्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों प्रगति विवरण आदि का प्रकाशन कर उसे नागरिक की पहुँच में लाना है।

## हस्त—पुस्तिका की उपयोगिता

यह पुस्तिका संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों में रुचि रखने वाले राजकीय विभागों/लोक उपक्रमों/व्यक्तियों/प्रशिक्षण संस्थानों/डोनर संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी है। प्रशिक्षण गतिविधियों की सफलता प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता, उनकी पहल करने की क्रियाशीलता, स्थानीय कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सहयोग एवं टीम वर्क से ही संभव हैं।

## हस्त—पुस्तिका का प्रारूप

संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा रही यह हस्तपुस्तिका राज्य सरकार के गृह (ग्रुप—5) विभाग के आदेश क्रमांक F.9(23)Gr.3/2005 दिनांक 3-10-2005 एवं 12-10-2005 के द्वारा निर्धारित प्रारूप/अध्याय अनुसार एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार

प्रकोष्ठ) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 11 फरवरी 2010 के तहत तैयार की गयी है।

## अध्याय विवरण

### प्रस्तावना

1. संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य
2. संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।
4. कृत्यों के निर्वहन के लिए संगठन द्वारा स्थापित मापमान
5. कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख
6. दस्तावेजों के प्रवर्गों का वर्गीकरण
7. व्यवस्था की विशिष्टयां का विवरण जो नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।
8. बोर्ड, परिषद्, समितियों और अन्य निकायों का विवरण
9. संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाएं अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी सम्मिलित है।
10. संस्थान को आवंटित बजट सम्बन्धी सूचना जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों एवं किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्शित हैं।
11. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि व ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हो।
12. संस्थान द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां
13. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचनाएं
14. सूचनाएं अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओंकी विशिष्टयां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लोक उपयोग के लिये कार्यकरण के घण्टे सम्मिलित है।
15. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां
16. संस्थान से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं जो विहित है।

## सामान्य जानकारी

हस्त पुस्तिका में पृथक से परिभाषाओं का उल्लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तपुस्तिका मे सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति का विवरण इस प्रकार हैः—

उप निदेशक (प्रशासन) एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी

कमरा नम्बर B-1,

भूतल, शहरी विकास केन्द्र भवन

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, (ओ.टी.एस.)

जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

जयपुर-302017 फोन नम्बर

0141-2715264

फैक्स नं. 0141-2705420

visit us:[www.hcmripa.rajasthan.gov.in](http://www.hcmripa.rajasthan.gov.in) e-mail: [hcmripa@rajasthan.gov.in](mailto:hcmripa@rajasthan.gov.in)

हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क—

संस्थान से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन पत्र निर्धारित नहीं है। इच्छुक नागरिक सादे कागज पर आवेदन (जिसमें पूरा नाम, डाक का पता, मोबाइल नम्बर, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल यदि हो, चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण दिया हो व अन्त में हस्ताक्षर हों) देते हुए व राजस्थान सूचनाका अधिकार नियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत देयरूपये10/-का आवदेन शुल्क संस्थान के लोक सूचनाअधिकारी/सहायक लोक सूचनाअधिकारी को जमा करावे।

आवदेन शुल्क नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों से केवल आवेदन पत्र लिये जावेंगे, इसके अतिरिक्त आवदेन शुल्क के लियेकोई राशि नहीं ली जावेगी।

## अध्याय 1

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(प) के तहत संस्थान की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

#### संस्थान की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास(Brief History of the Institute)

राजस्थान राज्य का निर्माण 19 रजवाड़ों के विलय के फलस्वरूप 30 मार्च 1949 को हुआ। प्रसंविदान्तर्गत राज्यों का प्रशासन नये राज्य द्वारा 7 अप्रैल 1949 को लिया गया। सन् 1949 में राजस्थान राज्य के बनने के परिणामस्वरूप सर्वप्रथम एकीकृत प्रशासनिक पद्धति प्रारम्भ करने का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य के लिये प्रत्येक विभाग की एकीकृत व्यवस्था के लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये समितियों का गठन किया गया। साथ ही एकीकृत व्यवस्था में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी व विभिन्न सेवाओं और विभागों की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी रूप से अन्तर्लियित किये जाने के लिये कर्मचारियों के चयन हेतु नियम बनाये गये।

राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक: 112/G.D.I.C. दिनांक 10 मई 1949 द्वारा मुख्य सचिव एवं महालेखाकार, राजस्थान के साथ एक समिति गठित की जिसने नये राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर राजस्थान की समस्त सेवाओं के लिये नये एकीकृत वेतनमान सुझाये। ये वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950 [Rajasthan Civil Services (Unification of Pay Scales) Rules, 1950] कहलाये जो सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान ने आदेश क्रमांक F.10(34)I/G.A./50 दिनांक 12 जुलाई 1950 जारी कर 1 अप्रैल 1950 से प्रभावशील किये। जून 1950 की समाप्ति तक प्रत्येक विभाग की एकीकृत व्यवस्था के आदेश जारी किये गये व एकीकृत व्यवस्था में अधिकारियों की सामान्य उपयुक्तता की जाँच कर नियुक्तियाँ कर दी गयी।

राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना क्रमांक F.10(48)/G.A./50 दिनांक 31 जुलाई 1950 (राजस्थान राजपत्र भाग—I खण्ड 2 अंक 43 पार्ट—I दिनांक 12 अगस्त 1950 में प्रकाशित) दिनांक 8 अगस्त 1950 को जारी कर सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा में सरकारी सेवकों के चयन व वरिष्ठता निर्धारण के अनुदेश एवं नियम जारी कर काडर स्ट्रेन्थ निर्धारित की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत राजस्थान के हिजहाईनेस राजप्रमुख ने सन् 1954 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा सहित एक साथ 9 राज्य सेवाओं का गठन करते हुए सेवा नियम बनाये जिनमें सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया। चूंकि राज्य में कोई सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान नहीं था इसलिये राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पहला बैच प्रथम प्रशिक्षण के लिये ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (जो 1951 में स्थापित किया गया था, जो उत्तराखण्ड प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, नैनीताल के नाम से विख्यात हुआ। यह उत्तराखण्ड का शीर्ष स्तरीय राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। अब इसे डा. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के रूप में पुर्ननामित किया गया है।) भेजा गया। 1956 तक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इलाहाबाद में प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते थे। कुल 2 बैच इलाहाबाद भेजे गये।

बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 1957 को जोधपुर में एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षणालय (Rajasthan Administrative Service Officers' Training School) की स्थापना की गई। यहाँ सीधी भर्ती एवं सेवारत अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आरम्भ किया गया। राज्य में सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का पहला आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 14 नवम्बर 1957 से 30 जून 1958 तक संचालित किया गया। स्थापना के प्रारम्भिक वर्ष

में उक्त प्रशिक्षणालय ने जोधपुर महाराज हिम्मत सिंह के रेजीडेन्सी के पुराने बंगले में किराये पर कार्य प्रारम्भ किया। राजस्थान लेखा सेवा के प्रशिक्षण के लिये जयपुर में राजस्थान लेखा प्रशिक्षण विद्यालय कार्य करता था। दो वर्ष पश्चात् सन् 1959 में राजस्थान काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियां के लिये विशिष्टिकृत संस्थानिक प्रशिक्षण नव निर्मित विद्यालय में प्रारम्भ किया गया जिसमें जिला एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण का पर्यवेक्षणभी सम्मिलित कर लिया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान काडर के 17 प्रशिक्षुओं का पहला बैच 1 सितम्बर 1959 से 10 अक्टूबर 1959 के मध्य संचालित किया गया। आई.ए.एस. प्रशिक्षुओं को राज्य के राजस्व कानून, राज्य वित्त एवं सेवा नियम, विभिन्न योजनाएं एवं विकास, राजस्थान का इतिहास, भाषा एवं संस्कृति आदि पर भाषण दिये जाते थे।

प्रशिक्षणालय के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ ही 20 फरवरी 1959 को इसका नाम बदल कर अधिकारी प्रशिक्षणालय (ओ.टी.एस.) (Officers' Training School-OTS) रख दिया गया। उस समय 1957-58 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की काडर क्षमता 375 थी जो 1958-59 में बढ़ाकर 409 कर दी गयी। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान काडर की क्षमता 122 थी। तत्कालीन मुख्य सचिव श्री भगवत् सिंह मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1961 में गठित प्रशिक्षण पर राज्य स्तरीय समिति (State Committee on Training) की अभिशंषाओं को स्वीकार करते हुऐ राज्य सरकार ने सितम्बर 1961 में जयपुर में पृथक से कार्य कर रहे राजस्थान लेखा प्रशिक्षण विद्यालय का अधिकारी प्रशिक्षणालय में विलय कर दिया। 15 जनवरी 1963 को ओ.टी.एस. को जोधपुर से जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। स्कूल का भवन जोधपुर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। जयपुर में मालवीय नगर में संस्थान के भवन बनने तक अधिकारी प्रशिक्षणालय (ओ.टी.एस.) ने जयपुर कलेक्टरेट के पास बनीपार्क स्थित पीरामल होटल वाली बिल्डिंग (जहाँ आज राज्य बीमा विभाग कार्यरत है) में कार्य किया। राज्य सरकार ने प्रशिक्षणालय के नये भवन के लिये रूपये 35 लाख की राशि

स्वीकृत की। तीन वर्ष बाद मालवीय नगर स्थित मालवीय रीजनल इंजीनीयरिंग कॉलेज (अब मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान –एम.एन.आई.टी.) के पास संस्थान को आवंटित भूमि पर एक भव्य भवन तैयार करवाया गया जो आज पटेल भवन के नाम से विख्यात है। इसका निर्माण क्षेत्र 5170 Sq.m. में किया गया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने 15 अक्टूबर 1966 को अधिकारी प्रशिक्षणालय के इस नवनिर्मित पटेल भवन का उद्घाटन किया। इस प्रकार, अधिकारी प्रशिक्षणालय ने अपने नवीन भवन में कार्य करना प्रारम्भ किया।

सन् 1957 में केवल 17 अधिकारियों ने इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था जबकि 1957 से 1966 तक की 9 वर्ष की अल्पावधि में संस्थान ने विभिन्न सेवाओं के 1208 अधिकारियों, 135 लेखाकरों व 570 लेखा लिपिकों व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में अधिकारी प्रशिक्षणालय राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिये आधारभूत प्रशिक्षण, भारतीय प्रशासनिक सेवा व राज्य सेवाओं के लिये विशिष्टिकृत संस्थागत प्रशिक्षण, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण, मध्यम तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिये प्रबन्ध विषयक प्रशिक्षण व तकनीकी विभागों के अनुरोध पर विशेष अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता था लेकिन आज यहां विभिन्न श्रेणियों के करीबन 375 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं जिनके माध्यम से करीबन 10 हजार अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। 1962 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम से संस्थागत-व्यवसायिक प्रशिक्षण को पृथक कर दिया गया। 1967 में फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा अनुसंधान, प्रशिक्षण सामग्री विकास, परामर्श सेवा, पुस्तकालय विकास एवं संकाय सदस्यों को विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षणालय को \$ 95,400 का अनुदान दिया गया जिसे आगे चलकर \$ 1,11,000 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 1969 में वाणिज्यिक कर प्रशिक्षणालय का भी अधिकारी प्रशिक्षणालय में विलय कर दिया गया।

जनवरी 1961 मेंगठित प्रशिक्षण पर राज्य स्तरीय समिति (State Committee on Training) ने अपनी अनुशंसा संख्या 01.06.2019 में यह सिफारिश की थी कि राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिये व अधिकारी प्रशिक्षणालय के प्राचार्य को इस संस्थान का प्रभार दे दिया जाना चाहिये। आगे चलकर सन् 1969 में राजस्थान के कुशल प्रशासक, सांसद एवं राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (जुलाई 1962—सितम्बर 1963) के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्र माथुर (22 जून 1904-12 जून 1968) की स्मृति को चिर—स्थाई बनाने के उद्देश्य से अधिकारी प्रशिक्षणालय का नाम बदल कर “हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान” (HCM State Institute of Public Administration-HCM RIPA) रखा गया। सगंठन एवं पद्धति विभाग, राजस्थान की स्वीकृति क्रमांक एफ.10(75)O&M/Gr.V/72 दिनांक 27 नवम्बर 1973 द्वारा अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन तथा व्यवहार विज्ञान विषयों के लिये 4 प्रोफेसर के पद स्थायी आधार पर सृजित किये गये। साथ ही 4 अनुसंधान सहायक के पद सृजित किये गये। अगस्त 1974 में प्रबन्ध के लिये प्रोफेसर तथा अगस्त 1976 में एसोसिएट प्रोफेसर (वित्तीय प्रबन्ध) के पद सृजित किये गये। 1975 में संस्थान ने भारत सरकार के प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रारम्भ किया। 1976 से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तथा सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना प्रारम्भ हुआ जो यूनेस्को, यू.एन.ई.पी. व विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित किये गये।

18 जुलाई 1981 की विनाशकारी बाढ़ से पटेल भवन को भारी क्षति पहुँची। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवरोध आया व पुर्नवास कार्य में थोड़ा समय लगा। 14 नवम्बर 1981 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर ने संस्थान के नेहरू भवन का शिलान्यास किया। नेहरू भवन के निर्माण में राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेडने 18 माह का समय लिया। रुपये 78 लाख की लागत से नया भवन बन कर तैयार हुआ। इसका निर्माण क्षत्रे 10530 Sq.m. रखा गया। 19 अगस्त 1983 को

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जैंल सिह ने नव निर्मित नेहरू भवन का उद्घाटन किया। इस प्रकार संस्थान का कार्य पटेल भवन व नेहरू भवन में संचालित होना प्रारम्भ हो गया। पटेल भवन में सम्मेलन कक्ष, परीक्षा कक्ष, आधारभूत प्रशिक्षण के अध्ययन कक्ष व आपदा प्रबन्ध केन्द्र है जबकि नेहरू भवन प्रशासनिक भवन है जहाँ संस्थान के महा निदेशक का कक्ष, संकाय सदस्यों के बैठक कक्ष, भगवत् सिंह मेहता सभागार, प्रशिक्षण के लिये सुसज्जित अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर केन्द्र, केन्टीन व सेन्टर फॉर मेनेजमेंट स्टडीज के कार्यालय अवस्थित है। सन् 1982 में संस्थान ने स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रजत जयन्ती मनायी। 1 दिसम्बर 1982 में राज्य सामुदायिक विकास एवं पचांयती राज विभाग द्वारा संचालित उदयपुर स्थित ओरिएन्टेशन स्टडी एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (यह ओ.टी.सी. के नाम से सामुदायिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1958 मेंस्थापित किया गया था) का भी इस संस्थान में विलीनीकरण कर दिया गया जिसके फलस्वरूप इस केन्द्र को संस्थान के उदयपुर परिसर का नाम दिया गया। अप्रैल 1983 में संस्थान के नाम में 'राजस्थान' शब्द जोड़कर संस्थान को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCMRajasthan State Institute of Public Administration) के रूप में पुर्ननामित किया गया। वर्तमान में यह एच.सी.एम. रीपा (HCM RIPA) के नाम से देश में विख्यात है।

सन् 1983 में लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में स्थापित किये गये। इन केन्द्रों को क्रमशः हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर एवं हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कोटा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा स्थित सम्भागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर की स्मृति में गठित एच.सी. माथुर मेमोरियल सोसायटी की ओर से उनकी एक मूर्ति संस्थान में लगायी गयी जिसका अनावरण राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डा. एम. चेन्नारेड्डी ने दिनांक 16 अगस्त 1992 को किया। समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने की। राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल श्री बलिराम भगत ने 20 दिसम्बर 1996 को संस्थान के अधिकारियों को ठहराने के लिये विश्रान्ति अतिथि गृह का शिलान्यास किया। 31 अक्टूबर 2000 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने पटेल भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। विश्रान्ति अतिथि गृह 6 वर्षों में बन कर पूरा हुआ जिसका उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 अगस्त 2002 को किया। संस्थान आज करीबन 60 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। सन् 2007 में संस्थान ने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयन्ती मनायी है। इस अवसर पर संस्थान का नया पहचान चिह्न (Logo) जारी किया गया।



वर्ष 2022 में संस्थान के स्थापना दिवस पर संस्थान का नया लोगों जारी किया गया। वर्तमान में यह संस्थान राज्य के सिविल सेवकों के आधारभूत एवं सेवा-कालीन प्रशिक्षण के लिये शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (Administrative Training Institute) है। संस्थान द्वारा जनवरी 1972 से प्रशासनिका नामक अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसका सकेंन्द्रण विकासशील देशों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। प्रशासनिका विक्रय के लिये रखी गयी है। व्यक्तियों के लिये रूपये 100 व संस्थाओं के लिये रूपये 120 का वार्षिक चन्दा नियत किया गया है।

## परिकल्पना(Vision)

लोक सेवकों को समग्र एवं समता—आधारित रूपान्तरण के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में सशक्त करते हुए उन्नत लोक सेवा के लिये उपयोगी अभ्यास एवं श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करना।

## ध्येय (Mission)

संस्थान का मुख्य लक्ष्य समूह या व्यक्तिगत रूप से संगठन में कार्य करते हुए लोक सेवकों के मध्य वर्तमान एवं भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने हेतु उनकी भूमिका एवं संस्थानिक ढाँचा तैयार करना है।

## प्रशासन (Administration)

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान अन्य राजकीय विभागों की भांति एक राजकीय विभाग है जिस पर राज्य सरकार का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है। संस्थान का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित संस्थान परिसर के नेहरू भवन में अवस्थित है। महानिदेशक संस्थान के प्रमुख हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से है। संस्थान का एक आवासीय परिसर सेटेलाइट केम्पस के रूप में उदयपुर में कार्य करता है। जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं। संस्थान का संगठनात्मक विवरण चार्ट-1 व 2 में प्रदर्शित किया गया है। संगठनात्मक चार्ट-3 में दर्शाये गये 2 केन्द्र संस्थान परिसर में अवस्थित हैं। वर्ष 1982 में स्थापित प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र (Centre for Management Studies) एवं वर्ष 2005 में स्थापित सेंटर फॉर गवर्नेन्स (Centre for Good Governance) राजस्थान समाज पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत निकाय है। वर्ष 2000 में स्थापित महिला एवं बाल संसाधन केन्द्र (Women and Child Resource Centre) का 18 मई 2012 से प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र में विलय कर लिया गया है। वर्ष 2016 में बाल सन्दर्भ केन्द्र स्थापित किया गया है। प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र एवं सेंटर फॉर गवर्नेन्स, दोनों केन्द्र सूचनाका अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अनुसार लोक प्राधिकरण हैं। प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के आदेश क्रमांक 2716-26 दिनांक 21-6-2011 के अनुसार रजिस्ट्रार, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र लोक सूचना अधिकारी एवं महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में पदनामित किये गये हैं। साथ ही,

सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सदस्य सचिव, लोक सूचना अधिकारी एवं महानिदेशक,  
एच.सी.एम. रीपा, जयपुर प्रथम अपील अधिकारी के रूप मे पदनामित किये गये है।

## उद्देश्य (Objectives)

ह.च.मा. रीपा का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रशासन में सतत् सुधार के लिये सहायता देना है ताकि उत्तरोत्तर विकास के लिये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राज्य प्रशासन योग्य हो सकें। इस लक्ष्य की ओर संस्थान सदैव यह प्रयत्न करता है कि :


- लोक सेवा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये लोक सेवकों में मनोवृत्ति परिवर्तन लावे व उन्हें अधिक उत्तरदायी व जिम्मेदार बनावें,
- प्रशिक्षण की प्रक्रिया के जरिये सरकारी व अर्द्ध-सरकारी कार्मिकों के कौशल का विकास करे,
- क्रियात्मक अनुसंधान व व्यवाहारिक सुझावों के माध्यम से विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकार को सहायता दे, व
- प्रशिक्षण प्रविधियों समेत प्रशिक्षण से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में राज्य में अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को नेतृत्व व मार्गदर्शन प्रदान करे।

## संगठनात्मक चार्ट-1


### ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर संगठनात्मक ढाँचा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो सहित

**महानिदेशक, ह.च.मा.रीपा**


**अतिरिक्त महानिदेशक, ह.च.मा.रीपा**



## संगठनात्मक चार्ट-2



### संगठनात्मक चार्ट-3



## उद्देश्य (Objectives)

संस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबन्धकीय परामर्श द्वारा राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि करना।
- राज्य के अन्य विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं को नेतृत्व एवं परामर्श प्रदान करना।
- प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य कर्मियों के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना ताकि वे जन अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें।
- अनुसंधान निष्कर्षों और सम्भागियों के व्यावहारिक सुझावों द्वारा राज्य सरकार को उसकी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में परामर्श/सलाह देना।
- प्रशिक्षण द्वारा सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों के बौद्धिक विकास एवं कार्य-कुशलता में वृद्धि करना।

## कार्य (Functions)

इस संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- राज्य सेवाओं के अधिकारियों हेतु आधारभूत, संस्थानिक-व्यवसायिक, पुनर्शर्चर्या एवं प्रबन्ध विषयक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के परीवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु 52 सप्ताह के जिला प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- राज्य के विभिन्न संवर्गों/विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न एस.सी.टी.पी./टी.डी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
- राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और राज्य की नीति व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधक विषयों पर चर्चाएं आयोजित करना।
- सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रबन्ध में प्रभावी सुधार लाने हेतु नवीन विचार और अवधारणाएँ प्रतिपादित करना।
- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को नवीन प्रशिक्षण तकनीकों को विकसित करने, उसका प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

## मुख्य कार्यक्षेत्र (Thurstareas)

ह.च.मा. रीपा ने प्रशिक्षण, परिचालनात्मक अनुसंधान अध्ययनों व परामर्श कार्यों के लिये निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्षेत्रों का चयन किया है:-

- सुशासन
- लोकनीति: प्रक्रिया एवं नीति के मूलभूत तत्व
- वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रबन्धकीय लेखांकन
- लोक सेवा प्रबन्ध एवं लोक सेवा प्रदाय
- लोक प्रशासन, लोक प्रबन्ध, संगठनात्मक व्यवहार एवं नवाचार (इन्नोवेशन्स)
- आपदा प्रबन्ध
- महिला एवं बाल मामले/जेण्डर इश्यूज/जेण्डर बजटिंग
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डिजाइन, डिलीवरी, प्रशिक्षण का प्रबन्ध एवं आवश्यकता विश्लेषण)
- शासकीय नियम एवं विनियम
- ई-शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- विधि एवं राजस्व प्रशासन
- बहु-स्तरीय नियोजन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध समेत विकेन्द्रित योजना एवं विकास प्रशासन
- लोक-निजी साझेदारी
- शहरी विकास एवं शहरी सेवा प्रबन्ध
- राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तरों पर भूमण्डलीकरण के विभिन्न प्रभावोंका प्रबन्ध करने के लिये अनुक्रियाएँ विकसित करना
- स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानव विकास समेत सामाजिक विकास आदि
- सूचना का अधिकार
- जीएसटी
- मानवाधिकार
- पर्यावरण प्रबन्ध

## प्रशिक्षण गतिविधियाँ (Trainingactivities)

यह संरथान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्य स्तर का शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र है और देश के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संरथान में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य प्रशिक्षण एवं योजना अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के सफल संचालन के लिए यह ध्यान रखा जाता है कि :

(अ)	संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुरूप किया जावे।
(ब)	भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एस.सी.टी.पी., टी.डी.पी. तथा आई.टी.पी.श्रेणी में प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न विभागों के अधिक से अधिक अधिकारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावे।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की राज्य श्रेणी (एस.सी.टी.पी.) में विभिन्न सामयिक विषयों पर प्रति वर्ष 3 दिन से लेकर एक सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये जाते हैं। इनमें राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है।

1 जनवरी 2014 से संशोधित की गयी कोर्स फीस दरों के अनुसार इन कार्यक्रमों में जयपुर से बाहर से भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान विश्रान्ति में निःशुल्क आवास एवं भोजन सुविधा प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण विकास परियोजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर के प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल कार्यक्रम व प्रशिक्षण डिजाईन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त संकाय सदस्यों के विकास हेतु उन्हें संकाय विकास कार्यक्रमोंमें भाग लेने के लिये भी समय समय पर देश के प्रमुख ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सौजन्य से 1 संकाय अधिकारी को प्रधान प्रशिक्षक (Master Trainers) तथा 1 अधिकारी को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक (Recognized Trainers) के रूप में विकसित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण आई.टी.पी. योजना के तहत राज्य के किसी एक जिले का चुनाव किया जाता है जहां सेक्टर विशेष मेंकार्यरत सभी अधिकारियों/कार्मिकों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अनुसार सभी के लिये प्रशिक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस परियोजना के तहत संस्थान ने कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर व टोक जिलों के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा चुके हैं। चालू वर्ष में इस परियोजना के तहत राज्य के जनजाति बाहुल्य जिलों यथा डूँगरपुर, बाँसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों मेंकार्य प्रगति पर है।

संस्थान में नये संकाय सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम के तहत डी.टी.एस. (Direct Trainer Skills) एवं डी.ओ.टी. (Design of Training) कोर्स करना अनिवार्य है।

## कार्य प्रणाली (Working)

संस्थान सिविल सेवकों के आधारभूत, संस्थागत-व्यावसायिक, पुनर्शर्चर्या एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिये जिम्मेदार है। इसके अलावा संस्थान वर्ष पर्यन्त माँग आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है। सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.29(1)जीएडी/2/2008 दिनांक 30 अगस्त 2008 के अनुसार संस्थान प्रत्येक कार्यशील दिवस को प्रातः 9.30 बजे खुलकर सायं 6.00 बजे बन्द होता है। प्रत्येक शनिवार व रविवार को अवकाश रहता है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला कलक्टर द्वारा घोषित सभी राजपत्रित अवकाशों के दिन संस्थान बन्द रहता है। इस प्रकार संस्थान 5 दिवसीय सप्ताह का अनुगमन करता है। प्रशिक्षण के प्रारम्भ में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित प्रपत्र देकर पंजीयन कराया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान संस्थान की ओर से एक फोल्डर, नोट बुक व पेन प्रदान

किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रायः 25-30 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया जाता है। न्यूनतम 15 प्रशिक्षणार्थियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाता है। सभी अधिकारी संकाय सदस्य कहलाते हैं। प्रशिक्षण देने के लिये वे पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। इस रूप में उन्हें प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादित करने होते हैं। वे ख्यातिप्राप्त, प्रशिक्षित व्यक्तियों को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 4(3)प्रसु/प्रप्र/प्लान/रीपा/83/16168 दिनांक 15 मार्च 2010 के तहत अनुमोदित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये दरों दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हैं। राज्य सरकार की अधिसूचनाक्रमांक प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 9 जुलाई 2015 (परिपत्र संख्या 09/2015) द्वारा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के भाग-I के नियम 219(1)(ii)(a) के परिशिष्ट-A के अनुसार निदेशक, ह.च.मा. रीपा को सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर वास्तविक राशि की सीमा तक व्याख्यान शुल्क तथा उन प्रशिक्षणार्थियों के मैस चार्जेज का भुगतान करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर के अतिरिक्त/संयुक्त निदेशकों को एक समयरूपये 10,000 की सीमा तक व्याख्याताओं को व्याख्यान शुल्क का भुगतान करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। मुख्यालय, जयपुर में यह दर रूपये 1500 प्रति प्रशिक्षण सत्र व उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों यह रूपये 1000 प्रति प्रशिक्षण सत्र निर्धारित की गयी है। संस्थान परिसर में अधिकारियों अतिथि वक्ताओं, विशिष्ट अतिथितियों आदि के लिये एक सुसज्जित गेस्ट हाउस है जो 2576 Sq.m. क्षेत्र में निर्मित है। यहाँ 7 वातानुकूलित कमरे हैं।

बाहर से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान संस्थान से सम्बद्ध विश्रान्ति छात्रावास में आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास विश्रान्ति के नाम से विख्यात है। यह दो भाग में विभक्त है— पुराना भवन व नया भवन। पुराने

भवन में क्रमशः ए, बी, सी विंग है। ए विंग की तीन मंजिलों में 21 कमरे सिंगल बैड व 3 डबल बैड कमरे हैं। बी विंग में कूलर्स है जहां 15 कमरे डबल बैड व एक जिम है। सी विंग में डिविटंग है जहां 32 सिंगल बडे कमरे हैं। डी विंग में 40 कमरे सिंगल बैड व 4 डबल बैड कमरे हैं। इस प्रकार पुराने भवन में कुल 93 सिंगल व 27 डबल बैड कमरे हैं। विश्रान्ति की नयी विंग के तीन भाग है— कमरे, कॉटेज व गेस्ट हाउस। यहां तीन मंजिल में 29 ए.सी. डबल बैड कमरे व 34 नॉन ए.सी कमरे हैं। कॉटेज में 4 एसी सुईट, 12 डूप्लेक्स कमरे हैं। गेस्ट हाउस में कुल 7 कमरे व एक सुईट है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प/रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009–10 दिनांक 24 मई 2011 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को राज्य सरकार के आदेशान्तर्गत कक्षा के दौरान 2 चाय व मध्याह्न भोजन/अल्पाहार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रातःकालीन चाय, नाश्ते व रात्रि भोजन का भुगतान निर्धारित दरों से प्रशिक्षणार्थियों से लिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951, खण्ड I के नियम 7(8)(ब)(i) के तहत कर्तव्य पर माना जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रकाशन अनुभाग द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण लघु पुस्तिकाएं व अध्ययन सामग्री की छाया प्रतियां भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण, अतिथि वक्ताओं तथा अन्य समस्त व्यवस्थाओं जैसे प्रशिक्षण संरचना, समय सारिणी, भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था आदि का निर्धारित प्रपत्र में समग्र मूल्याकंन कराया जाता है। महत्वपूर्ण विषयों पर गोष्ठियां तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चर्चा, समकालीन महत्व के विषयों पर समय—समय पर राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा विशिष्ट/विषय विशेषज्ञों की चर्चाएँ/अभिभाषण कराये जाते हैं। स्व. श्री हरिश्चन्द्र माथुर की स्मृति में संस्थान द्वारा हरिश्चन्द्र माथुर स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवत् सिंह मेहता स्मृति व्याख्यान भी आयोजित किया जाता है। संस्थान की गतिविधियों का उल्लेख प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाता है जो

राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता है। संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020–2021) जारी कर दिया गया है जो वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

## **राजस्थान राज्य प्रशिक्षण नीति, 2008 (Rajasthan State Training Policy, 2008)**

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 67/2008 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2008 को राजस्थान राज्य प्रशिक्षण नीति अनुमोदित की गयी है। कार्मिक (क-4-1) विभाग, राजस्थान द्वारा नीति का ज्ञापन संख्या प.9(3)कार्मिक / क-4-1 / 2008 दिनांक 13 मई 2008 मंत्रिमण्डल में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य सचिव, राजस्थान ने मंत्रिमण्डल की उक्त आज्ञा यू.ओ.नोट क्रमांक डी-67/मंम/2008 दिनांक 19 मई 2008 द्वारा सम्प्रेषित की। राज्य प्रशिक्षण नीति संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

## अध्याय 2

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(ii) के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

नवम्बर 1957 में अधिकारी प्रशिक्षणालय की स्थापना से लेकर 1969 में हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के रूप में परिवर्तित होने तक आचार्य (Principal) ही संस्थान के प्रमुख थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीनियर ग्रेड से लिये जाते थे। उन्हें 250 प्रति माह विशेष भत्ता दिया जाता था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट XIV में वर्णित सूची अ में क्रमांक 37 पर विभागाध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया। आचार्य राज्य में प्रशिक्षण के पदेन निदेशक (*ex officio Director of Training*) के रूप में भी कार्य करते थे। 1965 में आचार्य (Principal) के पद को निदेशक (Director of Training) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1970 में आचार्य को निदेशक के रूप में पदनामित कर दिया गया। आगे चलकर दिनांक 1 अप्रैल 1980 से निदेशक को विभागाध्यक्ष के साथ साथ राज्य सरकार ने पदेन विशिष्ट शासन सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.5(1)कार्मिक/क-1/89 दिनांक 16 अगस्त 1989 द्वारा निदेशक को पदेन शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पदनाम दिया गया। 30 जुलाई 1993 से उक्त पदनाम प्रमुख शासन सचिव (प्रशिक्षण) कर दिया गया। 29 सितम्बर 2007 को यह दर्जा अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) किया गया है। राज्य सरकार ने दिनांक 1 दिसम्बर 2010 से निदेशक के पद को महा निदेशक (Director General) कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन्स मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक फा.सं. 11031/02/2015—अ.भा.से.II(क) दिनांक दिनांक 27 दिसम्बर 2016 द्वारा भारतीय

प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1955की अनुसूची में “राजस्थान” शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी के 2 पद शामिल किया गये है— अपर मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक जनरल, एच.सी.एम. आरआईपीए तथा निदेशक, एच.सी.एम. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान । (भारत सरकार का राजपत्र, भाग II खण्ड-3— उप खण्ड (i) मंगलवार, 27 दिसम्बर 2016) । वर्तमान मेंमुख्यालय पर महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा संस्थान के प्रमुख है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा संस्थान के महा निदेशक को राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड II परिशिष्ट XIV (प्रविष्टि संख्या 37) (वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(9) वित्त (ग्रुप-2) / 85 दिनांक 14-9-1988 द्वारा संशोधित) के तहत प्रथम श्रेणी के विभागाध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(10)एफ.डी. (रूल्स) / 08 दिनांक 2 जनवरी 2017 द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड II परिशिष्ट XIV (प्रविष्टि संख्या 46) के तहत “निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) जयपुर” को “महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) जयपुर” कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(2)वित्त / साविलेनि / 2005 दिनांक 25 नवम्बर 2016 एवं अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्तसाविलेनि / 2005 दिनांक 25 नवम्बर 2016 द्वारा “महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) जयपुर सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के परिशिष्ट VIII (प्रविष्टि संख्या 106) के तहत विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) है। राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 2 (ज) के तहत भी उन्हें विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हैं। मंत्रीमण्डल सचिवालय (ओ.एम एण्ड.) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.15(2) ओ.एम.एण्ड / 61 दिनांक 20 नवम्बर 1961 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (विभागीय परीक्षाएं) नियम, 1959 के नियम 7(1) के तहत महानिदेशक, ह.च.मा. रीपा विभागीय परीक्षाओं के पदेन रजिस्ट्रार (*Ex-officio Registrar*) भी है।

स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में प्राचार्य की सहायता के लिये व्याख्याता—योजना एवं विकास का पद था जिस पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाये जाते थे। मार्च 1960में व्याख्याता—योजना एवं विकास के पद को उपाचार्य (Vice Principal) में क्रमोन्नत कर दिया गया। उन्हें रूपये 100 प्रति माह विशेष भत्ता दिया जाता था। फौजदारी कानून, दीवानी कानून, कोषागार, लेखा, बजट व सेवा नियम के लिये 1 व करारोपण विधि के लिये 2 व्याख्याताओं के पद अंशकालीन आधार पर सृजित किये गये। जनवरी 1961 में अंशकालीन व्याख्याताओं के पदोंके स्थान पर पूर्णकालिक व्याख्याताओं के 2 पदों का सृजन किया गया जो क्रमशः विधि तथा भारतीय अर्थशास्त्र, लोक वित्त एवं कोष और सेवा नियमों के लिये सृजित किये गये।

वर्तमान में महानिदेशक की सहायता के लिये अतिरिक्त महानिदेशक है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 5(1)कार्मिक(क-1)/2016 दिनांक 28 नवम्बर 2016 एवं समसंख्यक आदेश दिनांकित 29 नवम्बर 2016 द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक को पदेन विशिष्ट शासन सचिव (प्रशिक्षण) का दर्जा प्रदान किया गया है। संस्थान मेंराजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्य करते हैं। कार्मिक विभाग, राजस्थान की आज्ञा क्रमांक एफ.3(1)कार्मिक / क-4 / 2011 दिनांक 28 दिसम्बर 2012 द्वारा उन्हें हायर सुपर टाइम स्केल में रखा गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(10)एफ.डी.(रूल्स) / 08 दिनांक 29-1-2009 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.1(10)एफ.डी.(रूल्स) / 08 दिनांक 2 जनवरी 2017 द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड II परिशिष्ट XIV (प्रविष्ठि संख्या 58) के तहत विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अलावा) घोषित किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना साथ ही सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के परिशिष्ट VIII (प्रविष्ठि संख्या 274) के तहत भी उन्हेंविभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 15 (1) के तहत कार्मिक विभाग ने आदेश क्रमांक एफ.3(1)कार्मिक / क-3 / 85 दिनांक 17 अक्टूबर 1986 के अनुसरण में आदेश क्रमांक एफ.3(6)कार्मिक / क-3 / 88


जीएसआर-5 दिनांक 21 जून 1990 (राजस्थान राजपत्र भाग-4(ग) (I) दिनांक 4 अप्रैल 1991, पृ.6) तहत अतिरिक्त निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर/उदयपुर को प्रत्यक्षतः उनके नियंत्रणाधीन वाले अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के मामले में 2 तक वार्षिक वेतनवृद्धियां (असंचयी प्रभाव से) रोकने की लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। इसी तरह कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.3(6)कार्मिक/क-3/88 दिनांक 23 दिसम्बर 1992 के तहत अतिरिक्त निदेशक उनके प्रत्यक्षतः नियंत्रणाधीन वाले लिपिकवर्गीय स्टाफ के मामले में 2 वेतन वृद्धियां बिना असंचयी प्रभाव से रोकने की शक्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त हैं।

संस्थान में एक अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम) भी है जो राजस्थान लेखा सेवा से है। वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा के निर्देशन में कार्य करते हैं। शक्तियों का प्रत्यायोजन चार्ट 4 पर देखा जा सकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)एफ.डी. /रवे/ 2017 दिनांक 2-5-2017 द्वारा रीपा जयपुर में राजस्थान लेखा सेवा के अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम) के पद को हायर सुपर टाइम स्केल में, अतिरिक्त निदेशक के 2 पद व अतिरिक्त निदेशक (लेखा) का एक पद सुपर टाइम स्केल में रखा गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(6)वित्त/राजस्व/2003 दिनांक 6-8-2016 द्वारा मुख्यालय में राजस्थान बीमा सेवा के अतिरिक्त निदेशक स्तर का 1 पद लोक प्रशासन संस्थान के बजट मद से L-21 में रखा गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(11) एफ.डी.(रवे)/ 96 Part II दिनांक 24-5-2013 द्वारा रीपा जयपुर में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी का 1 पद लेखाकार का 1 पद तथा कनिष्ठ लेखाकार के 9 पद रखे गये हैं। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का एक पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन स्केल में रखा गया है जबकि उप निदेशक (प्रशासन) व उप निदेशक के 2 पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन स्केल में रखा गया है।

शैक्षणिक पदों पर विभिन्न विषयों यथा लोक प्रशासन, कम्प्यूटर, शहरी विकास, पर्यावरण, अर्थशास्त्र व व्यवहार विज्ञान में प्रोफेसर एवं समाजशास्त्र एवं वित्तीय प्रबन्ध में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रबन्ध में सहायक प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं। अनुसंधान कार्यों के लिये अनुसंधान अधिकारी एवं अनुसंधान सहायक कार्यरत हैं। प्रकाशन कार्यों के लिये प्रकाशन अधिकारी एवं प्रकाशन सहायक कार्य करते हैं। अधिकारियों की सहायता के लिये निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, निजी सहायक एवं आशुलिपिकों के पदों पर कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्यालय का पर्यवेक्षण अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं।

## चार्ट-4

### ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर



संस्थान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी—I, सहायक लेखाधिकारी—II, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी कर्मचारी, बागवान व श्रेणी चार के कर्मचारी कार्यरत हैं। संस्थान से सम्बद्ध विश्रान्ति छात्रावास की देखभाल के लिये एक प्रबन्धक (विश्रान्ति) है। यहां रुम अटेंडेण्ट, कुक आदि कार्य करते हैं। संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जिसकी देख-रेख पुस्तकालयाध्यक्ष करते हैं। उनकी सहायता के लिये एक उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, बुक लिफ्टर, श्रेणी चार कर्मचारी आदि कार्य करते हैं। इस प्रकार, संस्थान में राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं श्रेणी चार सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। संस्थान मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्वीकृत पदों का समग्र विवरण राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष आय-व्ययक में दर्शाया जाता है। आय-व्ययक अनुमान (Budget Estimates) 2018-2019 खण्ड 4 (अ) परिशिष्ट-क अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग के लिये की गयी अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः—

## हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

**(As per Budget Estimates 2021-2022)**

**2070— अन्य प्रशासनिक सेवाएं**

**003—प्रशिक्षण**

**(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान , जयपुर**

**[01]संचालन एवं प्रशासन**

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद		प्रशिक्षण केन्द्र					पे मैट्रिक्स में लेवल
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जयपुर	उदयपुर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा	1	—	1	0	0	0	0	फिक्स (आई.ए.एस.)
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	1	—	1	0	0	0	0	आई.ए.एस
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	1	—	0	1	0	0	0	L-23

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद		प्रशिक्षण केन्द्र					पे मैट्रिक्स में लेवल
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जयपुर	उदयपुर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम)	1	—	1	0	0	0	0	L-23
5.	अतिरिक्त निदेशक (बीमा)	3	—	1	0	0	1	1	L-21
6.	अतिरिक्त निदेशक	2	—	2	0	0	0	0	L-21
7.	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	4	—	1	1	0	1	1	L-21
8.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	3	—	1	0	1	1	0	L-21
9.	सीनियर प्रोफेसर	2	—	2	0	0	0	0	L-24
10.	प्रोफेसर (लोक प्रशासन, कम्प्यूटर, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, शहरी विकास एवं व्यवहार विज्ञान)	4	—	2	1	1	0	0	L-21
11.	एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबन्ध एवं समाजशास्त्र)	3	—	2	1	0	0	0	L-19
12.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	—	1	0	0	0	0	L-19
13.	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	1	—	1	0	0	0	0	L-19
14.	सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र, वित्त प्रबन्ध, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं प्रबन्ध)	5	—	1	0	2	1	1	L-16
15.	उप निदेशक (लेखा)	4	—	0	1	1	1	1	L-16
16.	उप निदेशक (प्रशासन)	2	—	1	1	0	0	0	L-16
17.	एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उ.नि.)	1	—	1	0	0	0	0	L-16
18.	निजी सचिव	1	—	1	0	0	0	0	L-15
19.	सहायक विधि परामर्शी	1	.	1	0	0	0	0	L-15
20.	लेखाधिकारी	1	—	1	0	0	0	0	L-14
21.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1	0	0	0	0	L-14
22.	प्रकाशन अधिकारी	1	—	1	0	0	0	0	L-14
23.	प्रोग्रामर	4	—	1	1	0	1	1	L-12
24.	अनुसंधान अधिकारी	3	—	2	1	0	0	0	L-12
25.	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	1	—	0	1	0	0	0	L-12
26.	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	3	—	1	0	1	0	1	L-11
27.	अतिरिक्त निजी सचिव	4	—	4	0	0	0	0	L-12
28.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I	1	—	1	0	0	0	0	L-12

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद		प्रशिक्षण केन्द्र					पे मैट्रिक्स में लेवल
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जयपुर	उदयपुर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	1	0	0	0	0	L-12
30.	सहायक सांखियकी अधिकारी	1	—	1	0	0	0	0	L-11
31.	निजी सहायक ग्रेड- I	8	—	6	1	0	1	0	L-11
32.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1	0	0	0	0	L-11
33.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	1	—	1	0	0	0	0	L-11
34.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	3	—	3	0	0	0	0	L-11
35.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	3	—	2	1	0	0	0	L-10
36.	प्रबन्धक हॉस्टल	4	—	1	1	1	0	1	L-10
37.	कनिष्ठ लेखाकार	9	—	4	2	1	1	1	L-10
38.	प्रकाशन सहायक	1	—	1	0	0	0	0	L-10
39.	अनुसंधान सहायक	3	—	1	1	1	0	0	L-10
40.	निजी सहायक ग्रेड-II	10	—	6	2	1	0	1	L-10
41.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	7	—	5	2	0	0	0	L-10
42.	सहायक प्रोग्रामर	2	—	2	0	0	0	0	L-10
43.	विद्युतकार श्रेणी-I	2	—	1	1	0	0	0	L-8
44.	सूचना सहायक	7	—	3	2	0	1	1	L-8
45.	पुस्तकालय सहायक	4	—	1	1	1	0	1	L-8
46.	पम्प ऑपरेटर ग्रेड-I	2	—	1	1	0	0	0	L-8
47.	संगणक	2	—	2	0	0	0	0	L-5
48.	वरिष्ठ सहायक	14	—	11	2	1	0	0	L-8
49.	कारपेन्टर	1	—	1	0	0	0	0	L-5
50.	वाहन चालक	2	—	1	1	0	0	0	L-5
51.	पम्प ऑपरेटर ग्रेड-II	1	—	1	0	0	0	0	L-5
52.	विद्युतकार श्रेणी-II	1	—	1	0	0	0	0	L-5
53.	कनिष्ठ सहायक	21	—	09	4	3	2	3	L-5
54.	जिरोक्स मशीन मैन	1	—	1	0	0	0	0	L-4
55.	कुक	5	—	3	2	0	0	0	L-3
56.	डुप्लीकेटिंग मशीनमैन	1	—	1	0	0	0	0	L-2
57.	बुक लिफ्टर	3	—	3	0	0	0	0	L-1
58.	माली	12	—	6	6	0	0	0	L-1
59.	वेटर	4	—	4	0	0	0	0	L-1

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद		प्रशिक्षण केन्द्र					पे मैट्रिक्स में लेवल
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जयपुर	उदयपुर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	रूम अटेप्डेण्ट	9	—	4	3	2	0	0	L-1
61.	जमादार / दफतरी	3	—	2	1	0	0	0	L-1
62.	श्रेणी IV कर्मचारी/फर्माश/ स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	44	—	31	5	3	3	2	L-1
कुल योग—		253	0	155	48	20	14	16	

Source: Budget 2022-23 Finance Department, Rajasthan, Jaipur, and upadated post detail on 31-03-2023

संस्थान के उदयपुर परिसर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त निदेशक पदस्थापित है। उन्हें वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(9)वि.वि (श्रेणी-2) / 85 दिनांक 30-9-1983 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त / साविलेनि / 2005 दिनांक 25-11-2016 द्वारा राजस्थान द्वारा राजस्थान सेवा नियम के तहत विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अलावा) एवं वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के परिशिष्ट VIII (प्रविष्टि संख्या 213) के तहत विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। वे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के नियम 3(अ) के तहत किसी भी अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आदेश क्रमांकएफ.3(6)कार्मिक / क-3 / 88 जीएसआर-5 दिनांक 21 जून 1990 के तहत अतिरिक्त निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर को प्रत्यक्षतः उनके नियंत्रणाधीन वाले अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के मामले में 2 तक वार्षिक वेतन वृद्धियां (असचंयी प्रभाव से) रोकने की लघु शास्त्रियां अधिरोपित करने हेतु क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। कार्मिक विभाग, राजस्थान की आज्ञा क्रमांक एफ.3(1)कार्मिक / क-IV / 2011 दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा उप निदेशक का 1 पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन स्केल में रखा गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)एफ.डी. / रेवे / 2017 दिनांक 2-5-2017 द्वारा उदयपुर, बीकानेर व कोटा केन्द्रों में राजस्थान लेखा सेवा के अतिरिक्त निदेशक स्तर के 3 पद सुपर टाइम स्केल L-21 मेंरखे गये हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)वित्त / राजस्व / 2003 दिनांक 6-8-2016 द्वारा जोधपुर केन्द्र में

राजस्थान बीमा सेवा के अतिरिक्त निदेशक स्तर का 1 पद लोक प्रशासन संस्थान के बजट मद से L-21 में रखा गया है। जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उप निदेशक स्तर के 3 पद राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ स्केल में रखे गये हैं। शैक्षणिक कार्य के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में सहायक प्रोफेसर (लोक प्रशासन), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) एवं सहायक प्रोफेसर (वित्तीय प्रबन्ध) तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर में सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) के पद हैं।

संस्थान के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन सम्बंधी पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के मध्य प्रशासनिक कार्यों का निम्नानुसार विभाजन एतद्वारा किया जाता है:—(क्रमांक—एफ. (1)रीपा / संस्था—I / 2016 / 14330 दिनांक:13.9.2022)

क्र.सं.	संकाय का पद प्रभारी अधिकारी	लिंग अधिकारी	कार्य आवंटन
1	अतिरिक्त महानिदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव (प्रशिक्षण)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ समन्वयक, लोक नीतिशास्त्र केन्द्र</li> <li>■ प्रशिक्षण एवं आयोजना संबंधी कार्य तथा समन्वय।</li> <li>■ आई.ए.एस. एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के प्रोबोशनर्स का प्रशिक्षण, समन्वय।</li> <li>■ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय/सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य एवं राज्य प्रशिक्षण नीति</li> <li>■ ASTI से सम्बन्धित कार्य</li> <li>■ सदस्य सचिव, सुशासन केन्द्र</li> <li>■ रीपा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण</li> </ul>
2	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त महानिदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ विभागाध्यक्ष, रीपा, एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण) से संबंधित समस्त कार्य।</li> <li>■ राज्य सेवा अधिकारियों हेतु आधारभूत एवं संस्थागत प्रशिक्षण एवं समन्वय।</li> <li>■ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य का सम्पादन।</li> <li>■ संस्थान के समस्त अनुभागों के मध्य समन्वय, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।</li> </ul>
3	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी, लेखा</li> <li>■ पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र</li> <li>■ राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के संस्थागत प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी</li> <li>■ नोडल ऑफिसर, मिड कैरियर ट्रेनिंग</li> <li>■ अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम)/ अतिरिक्त निदेशक (लेखा—द्वितीय) पद रिक्त होने पर उनको आवंटित समस्त कार्य</li> </ul>
4	अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम) (पद रिक्त)	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ हॉस्टल, मैस फण्ड के आय-व्यय का पर्यवेक्षण</li> <li>■ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के ऑडिट कार्य</li> <li>■ राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों के संस्थागत प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी</li> </ul>

क्र.सं.	संकाय का पद प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी	कार्य आवंटन
5	अतिरिक्त निदेशक (लेखा—द्वितीय) (पद रिक्त)	अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लेखा सम्बन्धी व प्रशिक्षण आदि कार्यों में समन्वय स्थापित करना</li> <li>■ राज्य लेखा सेवा अधिकारियों हेतु अनिवार्य इन सर्विस प्रशिक्षण</li> <li>■ जयपुर केन्द्र के ऑडिट आक्षेपों का निस्तारण एवं पर्यवेक्षण (महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग)</li> </ul>
6	अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा एवं प्रा.नि.)	संयुक्त निदेशक (साखियकी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी, ASTI एवं पुस्तकालय</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी, सम्पर्क पोर्टल</li> <li>■ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राजस्थान विधानसभा को प्रस्तुत करना</li> <li>■ राष्ट्रीय संस्थान व अन्य संस्थानों से MOU संबंधी कार्य एवं क्रियान्वयन</li> <li>■ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों/विभागों से केस स्टडी करना एवं उसकी रिपोर्ट बनाना।</li> <li>■ समन्वयक, समस्त अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य प्रदेशों के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण (भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त) एवं राज्य के शैक्षणिक भ्रमण हेतु आने वाले अधिकारियों के समन्वयक का कार्य</li> <li>■ सलाहकार, RTI के कार्यों का पर्यवेक्षण</li> </ul>
7	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (पद रिक्त)	उप निदेशक (प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (परिसर) एवं प्रभारी अधिकारी हॉस्टल्स के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (वाहन पूल)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (लिटिगेशन)</li> </ul>
		अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा एवं प्रा. नि.) श्रीमती ऋष्टु नन्दा	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (दूरभाष)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (प्रोटोकाल)</li> </ul>
8	संयुक्त निदेशक (साखियकी) डॉ. विभा शर्मा	प्राध्यापक (कम्प्यूटर)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अतिरिक्त पंजीयक (प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र)</li> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना)</li> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (वार्षिक योजना)</li> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (TMIS शाखा)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना) के अधीन ह.च.मा. रीपा के फीडबैक एवं विश्लेषण संबंधी कार्य</li> </ul>

क्र.सं.	संकाय का पद प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी	कार्य आवंटन
9	उप निदेशक (प्रशासन) सुश्री प्रगति आसोपा	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ कार्यालयाध्यक्ष</li> <li>■ संस्थापन शाखा</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (भण्डार)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (विधानसभा)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार</li> <li>■ आहरण एवं संवितरण अधिकारी (राजपत्रित)</li> <li>■ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सम्पादन।</li> </ul>
10	लेखाधिकारी श्रीमती विनोद कुमारी	लेखाधिकारी (सी.जी.जी.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (लेखा)</li> <li>■ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना</li> <li>■ ऑडिट आक्षेपों के निस्तारण के कार्य का पर्यवेक्षण</li> <li>■ आन्तरिक ऑडिट के कार्य का पर्यवेक्षण</li> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (हॉस्टल्स, कॉटेज एवं गेस्ट हाऊस) / स्पोर्ट्स</li> </ul>
11	लेखाधिकारी (सी.जी.जी.) श्रीमती सुरभि सिंह	लेखाधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ सी.जी.जी. के लेखा संबंधी समस्त कार्य</li> <li>■ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभारी अधिकारी, आई.ए.एस. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक के रूप में कार्य</li> <li>■</li> </ul>
12	एनेलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) श्री कमलेश शर्मा	प्रोग्रामर	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (नेटवर्क एवं वेबसाईट रीपा)</li> <li>■ IT प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं IT मोड़यूल (Senior/Middle/Junior level) तैयार करने में सहयोग करना</li> <li>■ File Tracking System से सम्बन्धित कार्य</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर्स) के निर्देशन में आई.टी. से संबंधित समस्त कार्य</li> </ul>
13	प्रोग्रामर	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्राध्यापक (कम्प्यूटर्स) एवं एनेलिस्ट-कम- प्रोग्रामर के निर्देशन में सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित समस्त कार्य</li> </ul>
14	प्रकाशन अधिकारी (पद रिक्त)	अनुसंधान अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (प्रकाशन-रिसर्च, ऑल पब्लिकेशन्स, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिका, न्यूज लेटर का प्रकाशन, मोनोग्राफ अद्यतन)</li> <li>■ रीपा स्टेडिज / डाक्यूमेंटेशन का प्रकाशन</li> </ul>
15	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय सहायक	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ रीपा पुस्तकालय से सम्बन्धित कार्य</li> <li>■ फिल्म थियेटर का संचालन करना।</li> </ul>

क्र.सं.	संकाय का पद प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी	कार्य आवंटन
16	सहायक विधि परामर्शी श्रीमती अनामिका भूषण	उप निदेशक (प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ विधिक प्रकरणों में उप निदेशक (प्रशासन) का सहयोग</li> <li>■ विधिक मामलों में परामर्श देना</li> <li>■ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा, पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रकरण के प्रभारी अधिकारी एवं राजकीय अधिवक्ताओं / सहायक महाधिवक्ताओं के मध्य सम्बन्ध</li> <li>■ प्रभारी (LITES)</li> </ul>
17	प्राध्यापक (कम्प्यूटर्स) डॉ. राकेश सिंहल	प्राध्यापक (शहरी विकास)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर्स)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी CMIS/ IHRMS/सी.एम. हैल्प लाइन</li> <li>■ TMIS से संबंधित समस्त कार्य</li> <li>■ संकाय सदस्यों का विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मनोनयन।</li> <li>■ IT प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं IT मोड़यूल (Senior/Middle/Junior level) तैयार करना</li> <li>■ जयपुर मुख्यालय सहित रीपा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के IT लेबेस की आधारभूत सुविधाओं एवं विकास संबंधी कार्य</li> <li>■ संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक साफ्टवेयर विकास</li> <li>■ राज्य प्रशिक्षण नीति एवं राज्य प्रशिक्षण सलाहकार समिति से संबंधित कार्य</li> </ul>
18	प्राध्यापक (शहरी विकास) डॉ. रिपुन्जय सिंह	प्राध्यापक (कम्प्यूटर)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन केन्द्र एवं RSVK</li> <li>■ राज्य में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से संबंधित अनुसंधान, प्रलेखीकरण एवं रिपोर्ट तैयार करना</li> <li>■ विभिन्न कार्यक्रमों हेतु मोड़यूल तैयार करना एवं मोनोग्राफ को अद्यतन करवाया जाना</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (हॉस्टल्स, कॉटेज एवं गेस्ट हाऊस)</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी, स्पोर्ट्स</li> </ul>
19	प्राध्यापक (समाज शास्त्र) डॉ. करुणा पाण्डे	सह प्राध्यापक (समाज शास्त्र)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी (सेन्टर फॉर जेंडर स्टेडीज)</li> <li>■ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों/विभागों से सम्बन्धित केस-स्टेडी करना एवं उसकी रिपोर्ट बनाना।</li> <li>■ प्रभारी, सेन्टर फॉर चाइल्स राइट्स</li> </ul>

क्र.सं.	संकाय का पद प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी	कार्य आवंटन
20	सह प्राध्यापक (वित्तीय प्रबन्ध) डॉ. सोनिया अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक (वित्तीय प्रबन्ध)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ कन्वीनर, सुशासन केन्द्र</li> <li>■ संयुक्त प्रभारी अधिकारी, मिड कैरियर ट्रेनिंग</li> <li>■ प्रभारी, CRC, IRI-WCD</li> <li>■ MCTP for RACs में सह पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य</li> </ul>
21	सह प्राध्यापक (समाज शास्त्र) डॉ. मीनाक्षी खंगारोत	प्राध्यापक (समाज शास्त्र)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी, परीक्षा</li> </ul>
22	सहायक प्राध्यापक (वित्तीय प्रबन्ध) डॉ. प्रियंका व्यास	सह प्राध्यापक (वित्तीय प्रबन्ध)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभारी अधिकारी, आई.ए.एस. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी, आई.सी. (राज. प्रशासनिक सेवा एवं राज. लेखा सेवा)</li> </ul>
23	सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन) डॉ. गुल फिरदौस	अनुसंधान अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, आधारभूत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ</li> <li>■ MCTP for RAS में सह पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य</li> <li>■ प्रभारी अधिकारी (परिसर)</li> </ul>
24	अनुसंधान अधिकारी डॉ. पूजा सैनी	सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आहरण एवं वितरण अधिकारी (अराजपत्रित)</li> <li>■ राजभाषा सम्पर्क अधिकारी</li> <li>■ अनुसंधान सम्बन्धी प्रस्तावों की तैयारी</li> <li>■ अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी (प्रकाशन अनुभाग)</li> <li>■ MCTP (RAS &amp; RACs) के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में सह पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य</li> </ul>

#### निर्देशः—

1. समस्त प्रभारी अधिकारी आवंटित कार्यों/आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुभाग से संबंधित कार्यों की मासिक रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे।
3. अतिरिक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वित्तीय नियम)/अतिरिक्त निदेशक (लेखा-द्वितीय) पद रिक्त होने पर अतिरिक्त निदेशक (लेखा) के लिंक अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) होंगे।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पद रिक्त होने पर उप निदेशक (प्रशासन) के लिंक अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) होंगे।
- 5- अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व अपने लिंक ऑफिसर को सूचित करेंगे।


### अध्याय 3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा  
4(1)(बी)(iii)के तहत विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन  
कीजाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं परिवीक्षाधीन अधिकारियों के संस्थापन, प्रशिक्षण एवं योजना, लेखा तथा अन्य कार्य सम्बन्धी पत्रावलियों पर सम्बन्धित प्रकरण डीलिंग क्लर्क/सहायक द्वारा शाखा प्रभारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। शाखा प्रभारी इन प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी आवश्यकता होने पर अतिरिक्त निदेशक/महानिदेशक के स्तर पर पत्रावली निर्णित कराते हैं। नियुक्ति/पदोन्नति के प्रकरण महानिदेशक के स्तर पर अनुमोदन पश्चात् जारी किये जाते हैं। कुछ ऐसे नीतिगत प्रकरण होते हैं जिन्हें शासन स्तर पर विभिन्न विभागों यथा सामान्य प्रशासन, वित्त, कार्मिक, विधि विभाग से परामर्श कर निर्णित कराया जाता है।

संस्थान में पत्रावलियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागों हेतु जारी कार्यालय क्रियाविधि पुस्तिका के जरिये किया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रकरण होते हैं जिन्हें संकाय सदस्यों के साथ चर्चा कर निर्णित किया जाता है। प्रशिक्षण से सम्बन्धित निर्णय प्रायः संकाय अधिकारियों से परामर्श कर संकाय बैठक में लिये जाते हैं। संस्थान में प्राप्त सभी डाक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी जैसा भी निर्दिष्ट हो, को खोलकर प्रस्तुत की जाती है। अनुभागों का अंकन होने के बाद डाक आवक में प्राप्त होती है। आवक से अनुभागों में वितरित होती है। प्रत्येक अनुभाग में कार्यरत प्रकरण लिपिक प्राप्त डाक जिसे विचाराधीन पत्र कहा जाता है, सम्बन्धित पत्रावली पर लेकर उसकी टिप्पणी देता है व पत्रावली को निर्णय हेतु अगले सोपान को भेजता है। प्रत्येक प्रभारी

अधिकारी अपने अनुभाग से सम्बन्धित विचाराधीन पत्रों को पत्रावली पर अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त महानिदेशक / महा निदेशक को प्रस्तुत करता है जहां सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर समुचित निर्णय लिये जाकर संसूचित किये जाते हैं। इस प्रकार, किसी भी अनुभाग में पत्रावली का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:—



उपरोक्त निस्तारण प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक निर्णय लेने के लिये पत्रावली किसी भी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को भेजी जा सकती है व उनसे राय / टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है। जैसे वित्तीय मामले के निस्तारण में पत्रावली अतिरिक्त निदेशक (लेखा) / लेखाधिकारी को भेजी जा सकती है। न्यायालय प्रकरण में पत्रावली प्रभारी अधिकारी (वाद) को भेजी जा सकती है। इसी तरह अनेक प्रकरण ऐसे भी हैं जिनके निस्तारण के लिये पत्रावली को शासन सचिवालय स्थित रेफरल विभाग (जैसे वित्त, कार्मिक, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, विधि एवं वादकरण विभाग आदि) को भिजवाया जाता है। सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाकर निस्तारण किया जाता है। वित्त विभाग को पत्रावली भेजते समय वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक प. 11(04)वित्त / समन्वय / 2018 दिनांक 13 मार्च 2018 का पालन किया जाता है। संस्थान द्वारा आदेश जारी कर पत्रावली प्रेषण व निस्तारण के सक्षम स्तर के मार्ग तय किये गये हैं। साथ ही आई.टी. आधारित एसएसओ लॉगिन के जरिये फाइल ट्रैकिंग सिस्टम प्रारम्भ किया गया है। कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर संस्थान का प्रशासनिक विभाग है।

## अध्याय4

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(iv) के तहतकृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापदण्ड

संस्थानमें प्राप्त समस्त प्रकरण संस्थान के विभिन्न अनुभागों में विचार किये जाकर सक्षम स्तर पर निस्तारित किये जाते हैं। संस्थान में निम्न कुल 20 अनुभाग हैं:-

- 1) संस्थापना अनुभाग (Establishment Section)
- 2) वाद (Litigation)
- 3) लेखा (Accounts)
- 4) स्टोर (स्टेशनरी) (Stores-Stationery) एवंस्टोर (स्थाई) (Stores-Permanent)
- 5) पुस्तकालय (Library)
- 6) प्रशिक्षण एवंआयोजना (Training & Planning)
- 7) कम्प्यूटर (Computer)
- 8) परिसर (कैम्पस) (Campus)
- 9) विश्रान्ति (Vishranti)
- 10) परीक्षा (Examinations)
- 11) अभिलेखागार (Records)
- 12) प्रकाशन (Publication)
- 13) सी.एम.एस. (CMS)
- 16) सी.आर.सी. (CRC)
- 17) सी.जी.जी. (CGG)
- 18) खेल—कूद (Sportsand Games)
- 19) अस्ति (ASTI)
- 20) आधारभूत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (FC Cell)

प्रत्येक अनुभाग में विचारे गये कार्यों की देखभाल के लिये संस्थान में तैनात अधिकारियों को सिण्डीकेट दायित्व सौंपें जाते हैं। महानिदेशक द्वारा अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में सिण्डीकेट दायित्व सौंपे जाते हैं। संस्थान का समस्त राज कार्य विभागाध्यक्षों के लिये निर्धारित कार्यालय क्रियाविधि पुस्तिका

के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाता है। संस्थानके आदेश क्रमांक एफ. 1(1)(47)संस्थापन-1/रीपा/2010/14479-509 दिनांक 1 फरवरी 2010 के अनुसार निर्धारित पत्रावली संधारण की क्रियाविधि निर्धारित की गयी है। उपरोक्त आदेशान्तर्गतसंस्थान के सभी अनुभाग पत्रावलियां संधारित करते हैं। संस्थान के समस्त कार्यों पर विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारीगण पर्यवेक्षण करते हैं। प्रशासनिक निर्णय राज्य नियमानुसार सक्षम स्तर पर लिया जाता है। वित्तीय निर्णय सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार व प्रशासनिक कार्य राजस्थान सेवा नियम व अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार लिये जाते हैं।

## अध्याय 5

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(अ) के तहत कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न नियम, विनियम, कार्यकारी आदेश, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का उपयोग प्रशासनिक/वित्तीय सम्बन्धित कार्यों को निपटाने के लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रशासनिक	वित्तीय	प्रशिक्षण एवं अन्य
राजस्थान सेवा नियम, 1951	सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993	फर्म प्रशिक्षण मार्गदर्शिका नियम
राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1972	राजस्थान सिविल सेवाएं (पेशंन) नियम, 1996	प्रशासनिक विभाग के आदेश—अतिथि वक्ताओं को मानदेय
राजस्थान सिविल सेवाएं (कार्यभार ग्रहण) नियम 1981	राजस्थानसिविल सेवाएं (अंशदायी पेशंन) योजना, 2005	प्रशासनिक विभाग के आदेश—जयपुर व क्षे.प्र.के. प्रशिक्षणार्थियों को लन्च, चाय आदि
राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958	राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971	प्रशासनिक विभाग के आदेश—कान्फ्रैन्स हाल सम्बन्धी आरक्षण की दरें
विभागीय पदोन्नति नियम व प्रक्रिया, 2008	राजस्थान सिविल सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013	प्रशासनिक विभाग के आदेश—सामुदायिक केन्द्र आरक्षण
रोस्टर नियम	राजस्थान क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता नियम, 1970	प्रशासनिक विभाग के आदेश—तरणताल आरक्षण
राजस्थान राज्य लाके प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	बजट मैनुअल	प्रशिक्षण विवरणिका
राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997	वार्षिक प्रतिवेदन 2020-2021

प्रशासनिक	वित्तीय	प्रशिक्षण एवं अन्य
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999	राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998	प्रशिक्षण से संबंधित प्रकाशन कार्य
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1999	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, 1995	राजस्थान सिविल सेवाएं (विभागीय परीक्षाएँ) नियम, 1959
राजस्थान सिविल सेवाएं (वाणिज्य कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) निर्देश, 2008	आयकर अधिनियम, 1961	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सन् 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22)
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र	राजस्थान सिविल सेवाएं (राजकीय आवास आवण्टन) नियम, 1958	राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005
राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को	राजस्थान सिविल सेवाएं (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण एवं वसूली) नियम, 1958	
अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996		
कार्यालय क्रियाविधि पुस्तिका	राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि नियम	
कार्मिक विभाग के परिपत्र	उदार लघु अवधि ऋण योजना	
न्याय विभाग के परिपत्र	नवीन भवन अग्रिम नियम, 2004	
	राजस्थान राज्य पेशानर्स मेडिकल रियायत योजना, 2009	
	वित्त विभाग के परिपत्र	

## अध्याय 6

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(अप) के तहत दस्तावेजों केप्रवर्गों का वर्गीकरण

संस्थान द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवासे सम्बधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं जिनमें सेवा रिकार्ड, सम्बधित अनुभागों द्वारा निस्तारित की जाने वाली समस्त प्रकार की पत्रावलियां, प्रशिक्षण एवं कोर्स रिपोर्ट्स, प्रकाशन, भण्डार एवं पुराने रिकार्ड सम्बन्धी पत्रावलियां शामिल हैं। रिकार्ड व्यवस्थित रूप से रिकार्ड कीपर की देख-रेख में रिकॉर्ड रूम मेंरखा जाता है। रिकार्ड का प्रतिसंधारण विभागाध्यक्षों के लिये निर्धारित कार्यालय क्रियाविधि के अनुसार अभिलेख प्रतिसंधारण अनुसूची के अनुसार किया जाता है। अवधि पार रिकॉर्ड की वीडिंग कर उसे नियमानुसार नष्ट किया जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष 20 वर्ष व स्थायी रूप से रखे जाने वाले रिकॉर्ड का वर्गवार वर्गीकरण इस प्रकार है:—

प्रवर्ग	दस्तावेजों के नाम	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
प्रशासनिक	प्रशासनिक दस्तावेजों की प्रतिलिपियां	इन दस्तावेजों की प्रति लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के अनुसार आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते हैं	यह सभी दस्तावेज संस्थान में अभिलेख प्रतिसंधारण अनुसूची के अनुसार संधारित किये जाते हैं
विभागीय परीक्षा	सिलेबस की प्रति	अधिकारी को अधिनियम के अनुसार आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते हैं	यह सभी दस्तावेज संस्थान में अभिलेख प्रतिसंधारण अनुसूची के अनुसार संधारित किये जाते हैं
	परीक्षा परिणाम की प्रति		
	पुराने प्रश्न पत्रों की प्रतिलिपियां		
आयोजना (प्रशिक्षण)	संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण कलेडर	अधिकारी को अधिनियम के अनुसार आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते हैं	यह सभी दस्तावेज संस्थान में अभिलेख प्रतिसंधारण अनुसूची के अनुसार संधारित किये जाते हैं
	वार्षिक प्रतिवेदन		
	विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के कोर्स रिपोर्ट्स		
	प्रशिक्षण मॉड्यूल्स		
भण्डार	टेप्डर फार्मस		
पुस्तकालय	पुस्तकों का निर्गमन		
	विभिन्न विषयों पर पेपर विलिंग्स		
प्रकाशन	विभिन्न राज्य सेवा नियमों पर प्रकाशित प्रशिक्षण पुस्तिकाएं		
	विशेष मानोग्राफ्स		
	प्रशासनिका		

## अध्याय 7

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(vii)  
के तहत नीति निर्धारण व उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या  
जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का विवरण

इस संबन्ध में कोई सूचना प्रकटन योग्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते  
संस्थान में नीति निर्धारण व उसके कार्यान्वयन में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श  
का कार्य नहीं है।

## अध्याय 8

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(viii) के तहत बोर्ड, परिषद्, समितियों और अन्य निकायों का विवरण

संस्थान से कोई बोर्ड, परिषद्, समितियां और अन्य निकाय सम्बद्ध नहीं हैं लेकिन राज्य सरकार ने दो समितियां गठित की हैं जो संस्थान से सम्बद्ध हैं। प्रथमतः सन् 1985 में राज्य सरकार द्वारा एक राज्य प्रशिक्षण सलाहकार समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति के स्थान पर सन् 2005 में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर ने 2 समितियों का गठन किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार है:—

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति—आधारभूत, संस्थागत—व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षणप्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या एफ. 6(40)एआर / 3 / 2005 दिनांक 29.08.2005 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्य सेवाओं केलिये राज्य स्तरीय सलाहकार समिति—आधारभूत, संस्थागत—व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कायर्क्रमों के उद्देश्यों, लक्ष्यों, अवधि, पात्रता, विषय वस्तु, प्रशिक्षण रूपरेखा एवं पाठ्य सामग्री विकास, परियोजना कार्य आदि बिन्दुओं की समीक्षा हेतु गठित समिति का विवरण इस प्रकार है:—

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल	सदस्य
3.	निदेशक, ह.च.मा. रीपा एवं अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, गृह	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव शासन, कार्मिक	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव शासन, आयोजना	सदस्य
9.	उप शासन सचिव (प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा	सदस्य सचिव

उक्त समिति विभिन्न स्तरों पर राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिये आधारभूत, संस्थागत-व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु अपने सुझाव देगी :—

- विभिन्न स्तरों पर राज्य सेवा अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान आधारभूत संस्थागत-व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण
- विभिन्न राज्य सेवाओंके आधारभूत एवं संस्थागत-व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि, पात्रता, प्रशिक्षण रूपरेखा एवं पाठ्य सामग्री का निर्धारण
- राज्य सेवाओं के अधिकारियों के आन्तरिक प्रशिक्षण की समीक्षा
- राज्य सेवा अधिकारियों हेतु सेवा काल में उचित स्तर पर अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा
- राज्य सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण की समग्र समीक्षा

इसी क्रम में उपरोक्त समिति की बैठक से पर्वू एक उप-समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं :—

शासन सचिव (प्रशिक्षण) एच.सी.एम. रीपा	अध्यक्ष
अतिरिक्त महा निदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)	सदस्य
सदस्य, राजस्व मण्डल (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
आयुक्त, उद्योग	सदस्य
निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि	सदस्य
निदेशक, वित्त एवं लेखा	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, सिचाई	सदस्य
पंजीयक, सहकारी समितियां	सदस्य
महानिरीक्षक, कारागार	सदस्य
निदेशक, स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
निदेशक, पशुपालन	सदस्य
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य

निदेशक, स्वायत्त शासन संस्थान  
उप शासन सचिव (प्रशिक्षण)

सदस्य  
सदस्य सचिव

यह समिति वर्ष में दो बार तथा उप समिति आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन कर सकेगी। यदि किसी विभाग द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व अपने अधीन लिया जाता है तो उसके निदेशक उपरोक्त वर्णित समन्वय समिति के स्वतः सदस्य माने जायेंगे।

### राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान समन्वय समिति

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या एफ. 6(41)एआर/3/2005दिनांक 29-08-2005 द्वारा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (प्रशिक्षण) की अध्यक्षता में गठित समिति सभी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता तथा समन्वय स्थापित करने हेतु गठित समिति का विवरण इस प्रकार है:-

1.	शासन सचिव (प्रशिक्षण) एच.सी.एम. रीपा	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सिचांई	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा	सदस्य
8.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)	सदस्य
9.	शासन सचिव, आयोजना एवं जनशक्ति	सदस्य
10.	प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक	सदस्य
11.	महा निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान , जयपुर	सदस्य
12.	निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	सदस्य
13.	निदेशक, सिचांई प्रबन्धन एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान , कोटा	सदस्य

14.	निदेशक, अभियांत्रिकी अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , जयपुर	सदस्य
15.	महा निदेशक, इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान , जयपुर	सदस्य
16.	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान , जयपुर	सदस्य
17.	निदेशक, उद्यमिता प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान , जयपुर	सदस्य
18.	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान , जयपुर	सदस्य
19.	निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान , अजमेर	सदस्य
20.	निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान (एसआईएएम) दुर्गापुरा, जयपुर	सदस्य
21.	निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान , जयपुर	सदस्य
22.	प्राचार्य, पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली, जयपुर	सदस्य
23.	निदेशक, राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान , जयपुर	सदस्य
24.	निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति अनुसंधान संस्थान, उदयपुर	सदस्य
25.	प्राचार्य, सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र, टोकं	सदस्य
26.	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान , उदयपुर	सदस्य
27.	प्राचार्य, जेल प्रशिक्षण संस्थान , अजमेर	सदस्य
28.	उप शासन सचिव (प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा	सदस्य
		सचिव

उक्त समिति राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा कर समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:-

राज्य की प्रशिक्षण नीति का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु समीक्षा

- प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य पारस्परिक समन्वय बनाना
- जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना एवं समीक्षा
- राज्य स्तर पर विभिन्न सेवाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का बाहरी एवं आन्तरिक आंकलन

- अतिथि वक्ताओं की प्रशिक्षण हेतु एकजाई सूचना तैयार करना
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सम्भावनायें एवं उसका निर्धारण करना
- विभिन्न प्रशिक्षण विषयों के स्थायी मॉड्यूल्स तैयार करना
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना
- प्रशिक्षण संस्थानों का आधारभूत निरीक्षण
- प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पदों की एकरूपता
- प्रशिक्षण संस्थानों में सूचनाओं का आदान प्रदान
- प्रशिक्षण संस्थानों एकरूपता बनाने हेतु गतिविधियों का आकलन

## शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (जेटी 1997(7)एससी 384) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी गाइडलाइन्स एवं नॉर्म्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.9(2)(59)कार्मिक/क-3/97 पार्ट-I दिनांक 14 जून 2000, 23 जुलाई 2001 एवं 27 सितम्बर 2001 की अनुपालना में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये संस्थान में एक शिकायत समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा 4(1) की अनुपालना में संस्थान के आदेश क्रमांक एफ.1(1)संस्थापन-I/रीपा/2001/पार्ट-II/2017/24028 दिनांक 26-12-2022 द्वारा उक्त शिकायत समिति का पुर्णगठन किया गया है। समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

- डॉ. विभा शर्मा, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) एच.सी.एम. रीपा, जयपुर, अध्यक्षा
- डॉ. प्रियंका व्यास, सहायक प्राध्यापक (वित्तीय प्रबंध), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर, सदस्य सचिव
- डा. मधुलिका अरोड़ा, प्रोग्रामर, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर, सदस्य
- श्रीमती वन्दना बगरिया, समय एन.जी.ओ. (गैर सरकारी सदस्य)
- श्री घनश्याम दास वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर, पुरुष सदस्य

## अध्याय 9

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(ix)के तहत  
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाएं

Please refer Web Page of HCM RIPA Directory as below :

1. Path : [hcmripa.rajasthan.gov.in](http://hcmripa.rajasthan.gov.in) -> Conctct Us -> Directory

2. Direct Link :

<https://hcmripa.rajasthan.gov.in/HSCRIPA2.aspx?mm=LRR5Czl9/GBMZwroPXYF/g==&m=k2P6ORdgTj8qkpxzaFYdw==&s=0>

## अध्याय 10

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(X) के तहत  
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त  
मासिक पारिश्रामिक एवं विनियमों में वर्णित प्रतिफल की प्रणाली

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (मुख्यालय)

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद		पे मैट्रिक्स में लेवल
		स्थाई	अस्थाई	
1	2	3	5	
<b>महानिदेशक (1)</b>				
1.	महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा	1	0	IAS
<b>अतिरिक्त महानिदेशक (1)</b>				
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	0	1	IAS
<b>अतिरिक्त निदेशक (6)</b>				
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	L-23
4.	अतिरिक्त निदेशक (अर्थ एवं वि.नि)	1	0	L-23
5.	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	1	0	L-21
6.	अतिरिक्त निदेशक	1	0	L-21
7.	अतिरिक्त निदेशक	1	0	L-21
8.	अतिरिक्त निदेशक (बीमा)	1	0	L-21
<b>सीनियर प्रोफेसर (2) एवं प्रोफेसर (2)</b>				
9.	सीनियर प्रोफेसर	1	0	L-24
10.	सीनियर प्रोफेसर	1	0	L-24
11.	प्रोफेसर (लोक प्रशासन)	1	0	L-21
12.	प्रोफेसर (समाज शास्त्र)	1	0	L-21
<b>एसोसिएट प्राफेसर (2)</b>				
13.	1. वित्तीय प्रबन्ध	1	0	L-19
14.	2. समाजशास्त्र	1	0	L-19

<b>संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (1)</b>				
15.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	L-16
<b>संयुक्त निदेशक (सांचियकी) (1)</b>				
16.	संयुक्त निदेशक (सांचियकी)	0	1	L-19
<b>उप निदेशक (1)</b>				
17.	उप निदेशक(प्रशासन)	1	0	L-16
<b>ए.सी.पी (उप निदेशक) (1)</b>				
18.	ए.सी.पी (उप निदेशक)	1	0	L-16
<b>सहायक प्रोफेसर (2)</b>				
19.	1. प्रबन्ध (Management)	1	0	L-16
<b>निजी सचिव (2)</b>				
20.	1.निजी सचिव	1	0	L-15
<b>सहायक विधि परामर्शी(1)</b>				
21.	सहायक विधि परामर्शी	0	1	L-15
<b>लेखाधिकारी (1)</b>				
22.	लेखाधिकारी	1	0	L-14
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	1	0	L-13
<b>प्रकाशन अधिकारी (1)</b>				
24.	प्रकाशन अधिकारी	1	0	L-14
<b>प्रोग्रामर (1)</b>				
25.	प्रोग्रामर	1	0	L-12
<b>अतिरिक्त निजी सचिव (4)</b>				
26.	1.अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	L-12
27.	2.अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	L-12
28.	3.अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	L-12
29.	4.अतिरिक्त निजी सचिव	0	1	L-12
<b>अनुसंधान अधिकारी (2)</b>				
30.	अनुसंधान अधिकारी	1	0	L-12
31.	अनुसंधान अधिकारी	0	1	L-12
<b>पुस्तकाध्यक्ष (1)</b>				

32.	पुस्तकाध्यक्ष	1	0	L-14
<b>निजी सहायक ग्रेड- I (6)</b>				
33.	1.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
34.	2.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
35.	3.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
36.	4.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
37.	5.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
38.	5.निजी सहायक ग्रेड- I	1	0	L-11
<b>उप पुस्तकालयाध्यक्ष (1)</b>				
39.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	L-11
<b>प्रशासनिक अधिकारी (1)</b>				
<b>अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (3)</b>				
40.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-12
41.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-11
42.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-11
43.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-11
<b>सहायक लेखाधिकारी- II (1)</b>				
44.	1.सहायक लेखाधिकारी- II	1	0	L-11
<b>अनुसंधान सहायक (1)</b>				
45.	अनुसंधान सहायक	1	0	L-10
<b>प्रबन्धक हॉस्टल (1)</b>				
46.	प्रबन्धक हॉस्टल	1	0	L-10
<b>सहायक प्रशासनिक अधिकारी (5)</b>				
47.	1.सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-10
48.	2.सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-10
49.	3.सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-10
50.	4.सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-10
51.	5.सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	L-10
<b>कनिष्ठ लेखाकार(4)</b>				
52.	1.कनिष्ठ लेखाकार	1	0	L-11
53.	2.कनिष्ठ लेखाकार	1	0	L-11
54.	3.कनिष्ठ लेखाकार	1	0	L-10

55.	4.कनिष्ठ लेखाकार	1	0	L-10
<b>सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (2)</b>				
56.	1.सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	L-10
57.	2.सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	L-10
<b>पुस्तकालय सहायक (1)</b>				
58.	पुस्तकालय सहायक	1	0	L-12

### सहायक सांख्यिकी अधिकारी (1)

59.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	0	1	L-11
-----	-------------------------	---	---	------

### शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (1)

60.	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

### प्रकाशन सहायक (1)

61.	प्रकाशन सहायक	1	0	L-11
-----	---------------	---	---	------

### निजी सहायक ग्रेड- ॥ (6)

62.	1. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

63.	2. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

64.	3. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

65.	4. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

66.	5. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

67.	6. निजी सहायक ग्रेड- ॥	1	0	L-10
-----	------------------------	---	---	------

### वरिष्ठ सहायक (11)

68.	1.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

69.	2.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

70.	3.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

71.	4.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

72.	5.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

73.	6.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

74.	7.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

75.	8.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

76.	9.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	----------------	---	---	-----

77.	10.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	-----------------	---	---	-----

78.	11.वरिष्ठ सहायक	1	0	L-8
-----	-----------------	---	---	-----

<b>सहायक प्रोग्रामर (2)</b>				
79.	1 सहायक प्रोग्रामर	1	0	L-10
80.	2 सहायक प्रोग्रामर	1	0	L-10
<b>सूचना सहायक (3)</b>				
81.	1. सूचना सहायक	0	1	L-8
82.	2. सूचना सहायक	0	1	L-8
83.	3. सूचना सहायक	0	1	L-8
<b>विद्युतकार ग्रेड- I (1)</b>				
84.	1.विद्युतकार ग्रेड- I	1	0	L-8
<b>पम्प ऑपरेटर ग्रेड- I (1)</b>				
85.	पम्प ऑपरेटर ग्रेड- I	1	0	L-8
<b>विद्युतकार ग्रेड- II (1)</b>				
86.	1. विद्युतकार ग्रेड- II	1	0	L-8
<b>पम्प ऑपरेटर ग्रेड- II (1)</b>				
87.	पम्प ऑपरेटर ग्रेड-II	0	1	L-8
<b>कनिष्ठ सहायक (09)</b>				
88.	1.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
89.	2.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
90.	3.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
91.	4.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
92.	5.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
93.	6.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
94.	7.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
95.	8.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
96.	9.कनिष्ठ सहायक	1	0	L-5
<b>संगणक (2)</b>				
97.	1.संगणक	1	0	L-8
98.	2.संगणक	1	0	L-8
<b>कारपेन्टर (1)</b>				

99.	कारपेन्टर	1	0	L-8
<b>वाहन चालक (1)</b>				
100.	वाहन चालक	1	0	L-5
<b>जिरोक्स मशीन मैन (1)</b>				
101.	1. जिरोक्स मशीन मैन	1	0	L-4
<b>कुक (3)</b>				
102.	1.कुक	1	0	L-3
103.	2.कुक	1	0	L-8
104.	3.कुक	1	0	L-8
<b>डुप्लीकेटिंग मशीन मैन (1)</b>				
105.	1. डुप्लीकेटिंग मशीन मैन	1	0	L-2
<b>वेटर (4)</b>				
106.	1.वेटर	1	0	L-1
107.	2.वेटर	1	0	L-4
108.	3.वेटर	1	0	L-1
109.	4.वेटर	1	0	L-1
<b>रूमअटेन्डेन्ट (4)</b>				
110.	1.वेटर कम रूम अटेन्डेंड	1	0	L-1
111.	2. वेटर कम रूम अटेन्डेंड	1	0	L-4
112.	3. वेटर कम रूम अटेन्डेंड	1	0	L-1
113.	4. वेटर कम रूम अटेन्डेंड	1	0	L-1
<b>बागवान (6)</b>				
114.	1.बागवान	1	0	L-1
115.	2.बागवान	1	0	L-4
116.	3.बागवान	1	0	L-4
117.	4.बागवान	1	0	L-1
118.	5.बागवान	1	0	L-1
119.	6.बागवान	1	0	L-1
<b>बुक लिफ्टर (3)</b>				
120.	1.बुक लिफ्टर	1	0	L-4
121.	2.बुक लिफ्टर	1	0	L-4
122.	3.बुक लिफ्टर	1	0	L-1

जमादार ( 2 )				
123.	1.जमादार	1	0	L-1
124.	2.जमादार	1	0	L-1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, फर्श				
(31)				
125.	1. सफाई कर्मचारी	1	0	L-4
126.	2.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-4
127.	3. फर्श	1	0	L-4
128.	4. सफाई कर्मचारी	1	0	L-4
129.	5.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-4
130.	6 .चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
131.	7.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
132.	8.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
133.	9.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
134.	10.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
135.	11.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
136.	12.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
137.	13.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
138.	14.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
139.	15.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
140.	16.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
141.	17.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-2
142.	18.फर्श	1	0	L-1
143.	19.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
144.	20.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
145.	21.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
146.	22.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
147.	23.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-1
148.	24.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
149.	25. सफाई कर्मचारी	1	0	L-3
150.	26.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
151.	27. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
152.	28. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
153.	29. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3

154.	30. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3
155.	31. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	L-3

दिनांक 16.8.2023 तक अद्यतन

## क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

### ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर परिसर

क्र.सं.	पद	पे मैट्रिक्स में लेवल
1	अतिरिक्त महानिदेशक	
2	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	L-21
3	प्रोफेसर (व्यवहार विज्ञान)	L-21
4	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	L-21
5	एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)	L-19
6	उप निदेशक (प्रशासन)	L-16
7	उप निदेशक (लेखा)	L-16
8	प्रोग्रामर	L-13
9	अनुसंधान अधिकारी	L-12
10	अतिरिक्त निजी सचिव	L-11
11	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	L-11
12	निजी सहायक ग्रेड- ॥	L-10
13	निजी सहायक ग्रेड- ॥	
14	आशुलिपिक	L-10
15	कनिष्ठ लेखाकार	L-10
16	कनिष्ठ लेखाकार	L-10
17	अनुसंधान सहायक	L-10
18	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	L-10
19	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10
20	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10
21	प्रबन्धक हॉस्टल	L-10
22	पुस्तकालय सहायक	L-8
23	वरिष्ठ सहायक	L-8
24	वरिष्ठ सहायक	L-8
25	सूचना सहायक	L-8
26	सूचना सहायक	L-8
27	विद्युतकार ग्रेड- ।	L-8

28	पम्प ऑपरेटर ग्रेड- I	L-8
29	कनिष्ठ सहायक	L-5
30	कनिष्ठ सहायक	L-5
31	वाहन चालक	L-5
32	कुक	L-3
33	कुक	L-3
34	रूम अटेंडेण्ट कम वेटर	L-1
35	रूम अटेंडेण्ट कम वेटर	L-1
36	रूम अटेंडेण्ट कम वेटर	L-1
37	बागवान	L-1
38	बागवान	L-1
39	बागवान	L-1
40	बागवान	L-1
41	बागवान	L-1
42	बागवान	L-1
43	जमादार	L-1
44	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
45	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
46	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
47	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
48	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान , जोधपुर		
क्र.सं.	पद	पे मैट्रिक्स में लेवल
1	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)	L-23
2	प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)	L-21
3	उप निदेशक (लेखा)	L-16
4	सहायक प्रोफेसर (वित्तीय प्रबन्ध)	L-16
5	सहायक प्रोफेसर (लोक प्रशासन)	L-16
6	प्रोग्रामर	L-12
7	कनिष्ठ लेखाकार	L-10
8	अनुसंधान सहायक	L-10

9	पुस्कालय सहायक	L-10
10	निजी सहायक ग्रेड- ॥	L-10
11	सूचना सहायक	L-8
12	सूचना सहायक	L-8
13	वरिष्ठ सहायक	L-8
14	हॉस्टल प्रबंधक	L-8
15	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	L-8
16	कनिष्ठ सहायक	L-5
17	कनिष्ठ सहायक	L-5
18	कनिष्ठ सहायक	L-5
19	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
22	रूम अटेन्डेन्ट	L-1
23	रूम अटेन्डेन्ट	L-1

दिनांक 31.7.2023 तक अद्यतन

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर		
क्र.सं.	पद	पे मैट्रिक्स में लेवल
1	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	L-21
2	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	L-21
3	अतिरिक्त निदेशक (बीमा)	L-21
4	उप निदेशक (लेखा)	L-16
5	सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)	L-16
6	प्रोग्रामर	L-12
7	निजी सहायक	L-11
8	कनिष्ठ लेखाकार	L-10
9	सूचना सहायक	L-8
10	सूचना सहायक	L-8
11	कनिष्ठ सहायक	L-5
12	कनिष्ठ सहायक	L-5
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1

दिनांक 31.7.2023 तक अद्यतन

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्थान , कोटा		
क्र.सं.	पद	पे मैट्रिक्स में लेवल
1	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	L-21
2	अति निदेशक (बीमा)	L-21
3	उप निदेशक (लेखा)	L-16
4	सहायक प्रोफेसर (लोक प्रशासन)	L-16
5	प्रोग्रामर	L-12
6	सहायक लेखाधिकारी– II	L-11
7	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	L-11
8	प्रबन्धक विश्रान्ति	L-10
9	कनिष्ठ लेखाकार	L-10
10	पुस्तकालय सहायक	L-8
11	सूचना सहायक	L-8
12	कनिष्ठ सहायक	L-5
13	कनिष्ठ सहायक	L-5
14	कनिष्ठ सहायक	L-5
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1

#### नोट-

- सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत नियत है जो वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवृत्त किये गये है।
- राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 13 के अन्तर्गत सभी नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रति वर्ष जुलाई माह में 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय है।
- एक पे-मैट्रिक्स के सेल में नियत मूल वेतन के साथ नियमानुसार समय समय पर घोषित मँहगाई भत्ता (वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(3)एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 23 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 1-1-2018 से 7%), आदेश क्रमांक एफ.6(4)एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता, आदेश क्रमांक एफ.6(5)एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के तहत प्रतिपूर्ति (शहरी) भत्ता व विशेष भत्ता, यदि नियमों में देय हो, का संदाय किया जाता है।

- 20 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के क्रमांक एफ. 1(2)एफडी (रूल्स) / 06 (आरएसआर-5/06) दिनांक 13 मार्च 2006 के अनुसार 2 वर्ष के लिये प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में एक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है।

## अध्याय 11

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xi) के तहतसंस्थान को आवण्टित बजट सम्बन्धी सूचना जिसमेंआयोजना, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण का उल्लेख हो।

एच.सी.एम. रीपा को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु कुल 5695.35 लाख का बजट आयोजना भिन्न (नॉन-स्कीम) एवं आयोजना (स्कीम) मद में आवण्टित किया गया है। उक्त बजट में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का बजट सम्मिलित है। विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज)आयोजना भिन्न (नॉन-स्कीम) एवं आयोजना (स्कीम) मद में संशोधित आय-व्ययक अनुमान (2022-2023)के अनुसार—

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	बजट मद	बजट अनुमान	व्यय
<b>मांग संख्या—5 तथामांग संख्या—19</b>			
<b>2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
<b>00-</b>			
<b>003—प्रशिक्षण</b>			
<b>(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर</b>			
<b>[08] संचालन एवं प्रशासन</b>			
1	01—संवेतन	1700.00	1370.97
2	03— यात्रा व्यय	8.00	6.97
3	04— चिकित्सा व्यय	0.61	0.61
4	05— कार्यालय व्यय	203.68	174.23
5	06— वाहनों का क्रय	0.00	0.00
6	07— कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.80	0.89
7	08— वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाएं	7.50	6.26
8	21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मन्टीनेन्स)	9.00	3.88
9	31— पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	6.00	1.89
10	32— डिक्री प्रभार	0.00	0.00

11	36— वाहनों का किराया	37.34	27.36
12	37— वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	1.09	1.07
13	38— लेखन सामग्री व्यय	5.25	4.57
14	39— मुद्रण व्यय	9.00	3.87
15	41— संविदा व्यय	220.11	175.71
16	62— कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	14.12	5.73
योग (01)		2223.50	1784.01

**2070–00–003–01–[02] फर्म प्रशिक्षण**

17	01—संवेतन	1065.00	886.12
18	03— यात्रा व्यय	9.00	6.24
19	04— चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
20	29— प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	220.10	74.76
योग [02]		1294.10	967.12

**2070–00–003–01–[04] आई.ए.एस. परीवेक्षाधीनों का प्रशिक्षण**

21	01—संवेतन	150.00	82.82
22	03— यात्रा व्यय	15.00	5.13
23	04— चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
24	29— प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	7.00	1.64
योग [03]		172.00	89.59

**2070–00–003–01–[05] हॉस्टल मेन्टीनेन्स**

25	18— मशीनरी और साज सामान/ऑजार एवं संयत्र	7.80	0.00
26	21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	14.90	1.63
योग [04]		22.70	1.63

**2059–80–053–52–[01] अनुरक्षण एवं मरम्मत**

27	21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	100.00	24.55
----	---------------------------------------	--------	-------

	योग [05]	100.00	24.55
<b>2070-00-003-(01)-[06] सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स</b>			
28	12— सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	0.15	0.00
29	92— सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	12.00	11.28
	योग [06]	12.15	11.28
<b>2070-00-003-(01)-[07] कॉरपस फण्ड</b>			
30	28 — विविध व्यय	0.00	0.00
	योग [07]	0.00	0.00
<b>2070-00-003-(04)-[01] मैस कर्मचारियों को वेतन</b>			
31	92— सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	8.00	8.00
	योग [08]	8.00	8.00
<b>4070-00-003-(01)-[90] पूँजीगत व्यय</b>			
32	17— वृहद निर्माण कार्य	1575.13	961.50
	योग [09]	1575.13	961.50

## अध्याय 12

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xii) के तहत अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवण्टित राशि व ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण हो

सम्बन्धित नहीं क्योंकि संस्थान में कोई अनुदान कार्यक्रम नहीं है।

## अध्याय 13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xiii) के तहत संस्थान द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिटियां

सम्बन्धित नहीं क्योंकि संस्थान द्वारा रियायतें, अनुज्ञापत्र आदि जारी नहीं किये जाते।

## अध्याय 14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xiv) के तहत<sup>14</sup>  
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

संस्थान के उद्देश्य, कार्य, प्रकाशन, संकाय, केन्द्रों, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन, परिपत्र, नियम, आदेश तथा संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाले टेन्डर फार्मर्स मासिक प्रशिक्षण कलेण्डर आदि इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है जिनका अवलोकन संस्थान की वेबसाइट [www.hcmripa.rajasthan.gov.in](http://www.hcmripa.rajasthan.gov.in) पर किया जा सकता है।

## अध्याय 15

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(अ) के तहत सूचनाएँ अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

संस्थान से सम्बन्धित जानकारी संस्थान की वेबसाइट [www.hcmripa.rajasthan.gov.in](http://www.hcmripa.rajasthan.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है जहां स्वयंसेव प्रकटन सूचनाका अधिकार के तहत अपलोड किया गया है। संस्थान को [hcmripa@rajasthan.gov.in](mailto:hcmripa@rajasthan.gov.in) पर मेल किया जा सकता है। संस्थान का दूरभाष संख्या 0141-2706556 व फैक्स 0141-2705420 है। नागरिक इन नम्बरों पर सूचनाएँ अभिप्राप्त कर सकता है। नवीन आदेश, परिपत्र, अध्ययन सामग्री, मासिक कलेण्डर, प्रतिवेदन आदि से सबंधित सूचनाएं संस्थान की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

## अध्याय 16

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(XVI) के तहत लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सूचनाका अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय II के अनुच्छेद 4(1)(B)के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण के रूप मेंसंस्थान ने लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी पदनामित किये है। अधिनियम के तहत संस्थान एक लोक प्राधिकरण है जिसके लोक प्राधिकारी महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा है। संस्थान के आदेश क्रमांक: एफ. 23/संस्था-2/रीपा/2013/7794 दिनांक 06.06.2018 द्वारा राज्य लोक सूचनाअधिकारियों एवं विभागीय प्रथम अपील अधिकारी के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियों का विवरण इस प्रकार है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पदाधिकारीगण

नाम अधिकारी एवं पदनाम	दूरभाष (कार्यालय)
लोक प्राधिकरण का नाम : हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	
<b>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005की धारा 19(1) अन्तर्गतप्रथम अपील अधिकारी</b>	
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर-302 017 (राजस्थान)	0141.2706268 0141.2715203 —
<b>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005की धारा 5(1)के अन्तर्गतराज्य लोक सूचना अधिकारी</b>	
उप निदेशक (प्रशासन) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर-302 017 (राजस्थान)	0141.2715264 —
ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
<b>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी</b>	
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर	
<b>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी</b>	
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रानी रोड, उदयपुर-313 001 (राजस्थान)	टेलीफौक्स 0294.2431355 0294.2430276
<b>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी</b>	
संयुक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रानी रोड उदयपुर-313 001 (राजस्थान)	टेलीफौक्स 0294.2431355 0294.2430276
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी	
अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, नागणीची के मन्दिर के पास, <b>बीकानेर-334 001 (राजस्थान)</b>	0151.2240941
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी	
उप निदेशक (लेखा) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, नागणीची के मन्दिर के पास, <b>बीकानेर-334 001 (राजस्थान)</b>	0151.2240941
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर	
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी	
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रामराज नगर चौखा, <b>जोधपुर-342014 (राजस्थान)</b>	.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी	
उप निदेशक (लेखा) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रामराज नगर चौखा, <b>जोधपुर-342014 (राजस्थान)</b>	
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कोटा	
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी	
अतिरिक्त निदेशक (लेखा), ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, पुराने आर.टी.ओ. के सामने, रामचन्द्रपुरा, छत्रपुरा, डी.सी.एम. रोड, कोटा-324007	
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 ;1द्व के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी	
उप निदेशक (लेखा)  ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, पुराने आर.टी.ओ. के सामने, रामचन्द्रपुरा, छत्रपुरा, डी.सी.एम. रोड, कोटा-324007	

नोट:- संस्थान में दो पजीकृत केन्द्र हैं— प्रबंध अध्ययन केन्द्र एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के तहत ये लोक प्राधिकरण हैं जिनके लोक प्राधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी पृथक से पदनामित किये गये हैं।

## अध्याय 17

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xvii)  
के तहत संस्थान से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं जो विहित हैं।

सन् 1963 में जहाँ संस्थान के जयपुर स्थित पुस्तकालय में 6420 पुस्तकें थीं वहीं सन् 2018-19 में पुस्तकों, प्रतिवेदनों एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री की कुल संख्या 100194 हैं।  
विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः—

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	वर्ष 2022-2023 के दौरान समाविष्ट पुस्तकों की संख्या	443
2	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं (12+50)	62
31.12.2022 तक पुस्तकों की संख्या 48306		

पुस्तकालय प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक खुला रहता है (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)। संस्थान पुस्तकालय पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। समस्त पुस्तकों की सूची (ओ.पी.ए.सी.) के माध्यम से पाठकों के लिए कम्प्यूटर पर उपलब्ध है। ओपेक सेवा का उपयोग लेन पर होने के कारण कैम्पस के सभी पाठक पुस्तकों की सूची अपने व्यक्तिगत कम्प्यूटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। वातानुकूलित, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

## CONTACT US

### शहर की चार दीवारी से ह.च.मा. रीपा पहुँचने का रोड मैप

